

अध्याय -IV

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अनुबंध प्रबंधन वेब होस्टिंग तथा एप्लिकेशन डेवलपमेंट में कमियाँ

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) की स्थापना 1976 में इलैक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) के अन्तर्गत एक सलंगन कार्यालय के रूप में की गई थी और तब से यह निरन्तर विकास के लिये डिजीटल अवसरों को बढ़ावा देने वाले और जमीनी स्तर तक ई-शासन/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन को पहुंचाने वाले मुख्य निर्माता के रूप में उभरा है। एन आई सी अपने सूचना संचार तकनीक (आई सी टी) नेटवर्क के माध्यम से, जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी एन ई टी) नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, का संस्थागत सम्पर्क भारत के केन्द्र सरकार के सभी विभागों/मन्त्रालयों राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और अधिकांश जिला प्रशासन से है। एन आई सी सरकार में ई-शासन/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन चलाने में सहायक रहा है।

नई दिल्ली रिथित अपने मुख्यालय के साथ एन आई सी की सभी 29 राज्यों एवं 7 केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियों और भारत में 640 जिला केन्द्रों में क्षेत्रीय इकाईयों और 19 प्रशासनिक इकाईयों हैं। राज्य स्तर पर एन आई सी की राज्य/केन्द्र शासित इकाईयों सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूचना तन्त्र प्रदान करती हैं और जिला स्तर पर एन आई सी की जिला इकाईयों अपने जिला कार्यालयों को सूचना तन्त्र प्रदान करती हैं। एन आई सी का 2009-10 से 2013-14 का वित्तीय प्रारूप निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2009-10	439.67	86.88	526.55
2010-11	564.56	132.68	697.24
2011-12	576.62	153.96	730.58
2012-13	523.39	133.87	657.26
2013-14	523.01	129.38	652.39

स्रोत: बजट दस्तावेज

केन्द्र/राज्य सरकारों की 7000 से अधिक वेबसाईटों के प्रबंधन तथा आपदा रिकवरी केन्द्र नेटवर्क आपरेशन के सूचना तन्त्र के संचालन के लिये एन आई सी ने राष्ट्रीय और राजकीय डाटा केन्द्रों को मिलाकर अत्याधुनिक आई सी टी आधारभूत संरचना की स्थापना की है, जो कि मन्त्रालयों, राज्यों और जिलों को विभिन्न नेटवर्क के संचालन और सेवायें जैसे कि एस एम एस, इन्टरनेट, वीडियो कान्फरेंसिंग इत्यादि प्रदान करती है साथ ही देश में इन सेवाओं की क्षमता वृद्धि करती है।

एन आई सी केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित सरकारों की तरफ से परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव करती है। ऐसी परियोजनाओं को एन आई सी में भुगतान परियोजना के नाम से जानी जाती है जिसमें

8 मिशन मोड परियोजनायें (एम एम पी)¹ भी शामिल है। इन परियोजनाओं की गतिविधियों में सम्पूर्ण समाधान के लिये विशेष आवश्यकताओं जैसे कि हार्डवेयर और साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति शामिल है।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के बीच किये गये चुनिंदा सविदाओं की जांच की। लेखापरीक्षा कार्य एन आई सी के मुख्यालय, चयनित राज्यों² और जिला डाटा केन्द्रों में किया गया। सामान्य वित्तीय नियमों के साथ-साथ लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के प्रावधान, ई-प्रशासन, साईबर सुरक्षा आदि के लिये बनाये गये नियमों व कानूनों सेवायें प्रदान करने, वैबसाईटों का संचालन और परियोजनाओं को लेने के लिये और एन आई सी द्वारा अपनाये गये आन्तरिक दिशानिर्देश, लक्ष्यों और नीतियों का प्रयोग किया गया। लेखापरीक्षा नमूना स्तर पर किया गया इसलिये लेखापरीक्षा केवल उदाहरणार्थ है परिपूर्ण नहीं है।

4.1.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.1.1 संविदा प्रबन्धन

(क) अनुचित योजना के कारण कम्प्यूटर एडेड डिजिटल मैपिंग परियोजना में ₹ 12.10 करोड़ के हार्डवेयर और साफ्टवेयर का अनुपयोगी हो जाना और डिजीटल मैपिंग पर ₹ 14.25 करोड़ का निष्कल व्यय।

कम्प्यूटर एडेड डिजिटल मैपिंग (सी ए डी एम) परियोजना छ.³ शहरों के पांच⁴ आधारभूत विभागों के नेटवर्क/सेवाओं को बनाने और रखरखाव के लिये उपयोगिता मैपिंग प्रदान करता है। योजना आयोग ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ₹ 47.67 करोड़ की राशि संस्थीकृत की (फरवरी 2005) और इस परियोजना को 15 से 18 महीनों में पूरा किया जाना था। मार्च 2013 तक इस परियोजना पर कुल ₹ 35.39 करोड़ व्यय किया गया।

इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एन आर एस ए) व सर्वे आफ इंडिया (एस ओ आई) द्वारा विकसित वेस मेप डाटा के साथ-साथ कम्प्यूटर हार्डवेयर व एप्लीकेशन साफ्टवेयर की जरूरत थी। हार्डवेयर व साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिये अप्रैल 2006 से जूलाई 2006 के दौरान ₹ 12.10 करोड़ के क्रय आदेश दिये थे जिसका विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-IX** में है। वेस मेप डाटा का कार्य (एरियल फोटोग्राफी व जियो कोडेड डिजिटल मैपिंग डाटा) एन आर एस ए व एस ओ आई को दिया था। इस उद्देश्य के लिये समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) एन आई सी व एन आर एस ए के बीच जून 2005 में निष्पादित हुआ था, एस ओ आई से कोई समझौता ज्ञापन नहीं हुआ। समझौता ज्ञापन के अनुसार वेस मेप डाटा 12 महीनों में पूरा होना था। वेस मेप डाटा के लिये क्रय आदेश मई 2005 में एस ओ आई को दिया गया और मई 2005 से दिसम्बर 2007 तक एन आर एस ए को दिया गया था जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1 ई-कार्यालय, अप्रवास वीजा विदेशी पंजीकरण व ट्रेकिंग (आई वी एफ आर टी IVFRT), ई-अधिप्राप्ति ई-न्यायालय, सड़क परिवहन, इंडिया पोर्टल, कृषि व सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2 दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उडीसा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम।

3 चैनई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई और बंगलौर

4 जल, सीवेज, दूरभाष नेटवर्क, विद्युत आपूर्ति, पुलिस विभाग

(रुपये में)

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	कार्य आदेश का क्रमांक व दिनांक	कार्य का क्षेत्र	कार्य की कीमत	निष्पादन की स्थिति
1	एस ओ आई	80 दिनांक 18 मई 2005	जियो—कोडेड डिजिटल डाटा फॉर अहमदाबाद, चैन्सई व मुम्बई	5.55	अहमदाबाद : अप्रैल 2010 चैन्सई : अप्रैल 2009 मुम्बई : जनवरी 2009
2	एन आर एस ए	912 दिनांक 03 अगस्त 2006	जियो—कोडेड डिजिटल मेपिंग डाटा फॉर बंगलौर	1.78	कार्य आदेश निरस्त 07 जुलाई 2011
3	एन आर एस ए	81 दिनांक 18 मई 2005	जियो—कोडेड फॉर हैदराबाद व बंगलौर	3.80	हैदराबाद : जून 2008 बंगलौर : अगस्त 2009
4	एन आर एस ए	875 दिनांक 14 जुलाई 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर अहमदाबाद व चैन्सई	0.53	उपलब्ध नहीं कराया
5	एन आर एस ए	913 दिनांक 03 अगस्त 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर कोलकाता, हैदराबाद व बंगलौर	1.53	अक्टूबर 2008
6	एन आर एस ए	922 दिनांक 10 अगस्त 2006	डिजिटल मेप कोडिंग फॉर कोलकाता	1.08	जून 2011
7	एन आर एस ए	921 दिनांक 10 अगस्त 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर मुम्बई	2.09	कार्य आदेश निरस्त (जुलाई 2011)
8 (क)	एन आर एस ए	2173 दिनांक 14 अगस्त 2007	एरियल फोटोग्राफी फॉर बंगलौर	0.43	अक्टूबर 2009
(ख)	एन आर एस ए	2173 दिनांक 14 अगस्त 2007	मैपिंग फॉर बैंगलौर	2.70	कार्य आदेश निरस्त (जुलाई 2011)

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- कार्य आदेश में काम के पूर्ण होने की समय सूची की कोई क्लाइ नहीं रखी गई थी। सभी प्रकरणों में (निरस्त कार्य आदेशों को छोड़कर) एरियल फोटोग्राफी व डिजिटल मेपिंग का कार्य वर्ष 2009 से 2011 के दौरान पूर्ण हुए तथा एस ओ आई व एन आर एस ए को ₹ 14.25 करोड़⁵ राशि का भुगतान हुआ था।
- तीन निरस्त किये गये कार्य आदेशों में (जो क्रम संख्या 2, 7 व 8 (ब) में दिखाये गये हैं) दो एन आर एस ए को अगस्त 2006 में व एक अगस्त 2007 में जारी किये गये थे। तथापि एन आई सी इन कार्य आदेशों के क्रियान्वयन को मानीटर करने में असफल रहा। एन आर एस ए ने फरवरी 2010 में आवेदन किया कि 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान नहीं होने के कारण वह इस स्थिति में नहीं है कि इन तीन क्रय आदेशों को निष्पादित कर सके। एन आर एस ए ने आगे बताया कि पुरानी दरों पर वह इन कार्य आदेशों के निष्पादन की स्थिति में नहीं होंगे। इस कारण एन आई सी के द्वारा जुलाई 2011 में इन कार्य आदेशों को निरस्त कर दिया गया। पुनः एन आई सी ने इन कार्य आदेशों को निरस्त करने में एक वर्ष से ज्यादा का समय लिया। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से यह पता नहीं चलता कि क्या एन आई सी ने किसी अन्य एजेंसी से इस कार्य को करवाया।

⁵ ₹ 1292 करोड़ जमा सेवा कर

- बैस मेंप डाटा के कार्य की सम्पूर्णता सुनिश्चित किये बिना, एन आई सी ने जून 2006 से नवम्बर 2006 के दौरान ₹ 12.10 करोड़ के हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरणों की अधिप्राप्ति जारी रखी।
- जब तक (2009 से 2011 तक जैसा कि उपर तालिका में दिखाया गया है) एस ओ आई और एन आर एस ए बैस मैं डाटा प्राप्त किया गया तब तक ₹ 12.10 करोड़ की लागत से खरीदे गये हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरण पुराने हो गये जैसा कि एन आई सी जून 2012 और जुन 2014 के परिपत्र से स्पष्ट है।
- वर्तमान में छ: शहरों के पांच विभागों में से बैंगलोर और अहमदाबाद में प्रत्येक में पांच, कोलकाता में चार, मुम्बई में तीन और हैदराबाद और चेन्नई में दो सी ए डी एम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित करने पर यह बताया गया कि विलम्ब का कारण रक्षा मंत्रालय से आवश्यक औपचारिकताओं को मिलने में देरी, और अन्य कारण जैसे कि हवाई जहाजों को उड़ाने के लिये पायलटों और आकाशीय फोटोग्राफी टीम के लिये मौके पर गार्डडो का अभाव था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हार्डवेयर की खरीद एक समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है और इसलिए इसकी खरीद से पहले ही डाटा मैपिंग का कार्य सम्पूर्ण कर लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिये था। एन आई सी ने एन आर एस ए द्वारा कार्य आदेशों के क्रियान्वय की जाँच नहीं की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि बैस मैपिंग डाटा समय पर प्राप्त हुआ या नहीं जब कि कार्य आदेश मई 2005 से दिसम्बर 2007 तक जारी किये गये थे और एन आर एस ए ने अपना अभिवेदन फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया कि वह कार्य आदेशों के क्रियान्वयन की स्थिति में नहीं है। आगे उत्तर में विभिन्न स्थानों पर उपकरणों के उपयोगिता न होने के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

इस प्रकार अनुचित योजना, जाँच का अभाव और विभिन्न चरणों में विलम्ब के कारण जून से नवम्बर 2006 तक ₹ 12.10 करोड़ की लागत से खरीदे गये हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरण अप्रचलित हो गये। साथ में पुराने उपकरणों को न बदलने के कारण ₹ 14.25 करोड़ की लागत से बैस मैपिंग डाटा पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

(ख) एन पी आर परियोजना पर ₹ 3.74 करोड़ का फालतू खर्च।

दिल्ली में नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एन पी आर) डाटा के स्टोर व एन पी आर बायोमेट्रिक डाटा संग्रहण की वेबसाईट विकास/निगरानी की सुविधा सृजन व रखरखाव के लिये गृहमंत्रालय ने एन पी आर की योजना फेस-I के अन्तर्गत ₹ 90.45 करोड़ राशि की स्वीकृति (सितम्बर 2013) दी थी। परियोजना का अनुमोदन करते समय स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि (सितम्बर 2013) कि एन आई सी को परियोजना की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिये। इस के लिये लगभग 770 वर्गमीटर, भण्डारण के लिये वास्तविक जगह की आवश्यकता थी और एन पी आर डाटा के कार्यस्थल की तैयारी के समय तक वर्तमान एन आई सी नेशनल डाटा सेन्टर (एन डी सी) शास्त्री पार्क दिल्ली में अस्थायी रूप से रहना था।

उपयोगकर्ता मंत्रालय ने निर्णय लिया (सितम्बर 2013) कि संपूर्ण डाटा बेस को 2014 मध्य तक रखने के लिये प्रतिबद्ध जगह की आवश्यकता होगी और अलग एन पी आर सुविधा के प्रावधान का पता लगाने का निर्देश दिया। तदनुसार एन आई सी ने निर्णय लिया (जनवरी 2014) कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी एम आर सी) जो आंठवी मंजिल शास्त्री पार्क जहां एन डी सी में स्थित था में ₹ 675 प्रति वर्गमीटर की दर से 3522.20 वर्गमीटर सुपर बिल्डअप एरिया किराये पर लिया जाये।

डी एम आर सी ने जनवरी 2014 में आंवटन पत्र जारी किया जिसमें 31 जनवरी 2014 तक ₹ 6.59 करोड़ के भुगतान के लिये भी निवेदन किया था जिसमें लाइसेंस शुल्क का अग्रिम (₹ 3.21 करोड़), रखरखाव प्रभार (₹ 0.51 करोड़), जल प्रभार (₹ 0.02 करोड़) और वापसी योग्य सुरक्षा जमा (₹ 2.85 करोड़) था। एन आई सी ने 24 मार्च 2014 से 29 मार्च 2014 की अवधि में तीन किश्तों में जमा का भुगतान किया था। आंवटन पत्र निर्धारित करता है कि एन आई सी को भुगतान के 29 वे दिन या उससे पहले (27 अप्रैल 2014)⁶ फ्लोर का आधिपत्य लेना था और यदि उस दिनांक तक आधिपत्य नहीं लेते हैं तो यह समझा जायेगा कि परिसर का 27 अप्रैल 2014 को कब्जा ले लिया है। रखरखाव प्रभार वास्तविक कब्जे की दिनांक से या 27 अप्रैल 2014 जो भी पहले हो से शुरू होना था। किराया (लाइसेंस शुल्क) सुसज्जित करने की अवधि 45 दिनों को मानने के बाद प्रभारित होगी। एन आई सी ने नियत की गई तारीख 27 अप्रैल 2014 तक परिसर का कब्जा नहीं लिया था। इसलिए रखरखाव प्रभार का दायित्व 27 अप्रैल 2014 से और उसका किराया 12 जून 2014 (27 अप्रैल 2014 से 45 दिन) से शुरू हुआ।

इसी दौरान एन आई सी (दिसंबर 2013 से मार्च 2014) ने छ: 500 टी बी (टेरा बाईट) स्टोरेज हार्डवेयर और सम्बंधित साफ्टवेयर ₹ 35.20 करोड़ कीमत की अधिप्राप्ति की जो कि एन आई सी डाटा केन्द्र में चिन्हिन स्थान पर अस्थायी रूप से स्थापित किये। जो अभी तक बेकार रखे थे (नवम्बर 2015) इस परियोजना में फरवरी 2014 से मई 2014 तक जनशक्ति को लगाने में व्यय ₹ 0.52 करोड़ हुआ था जिसे जून 2014 से बंद किया गया था।

लेखापरीक्षा संविक्षा बताती है कि मार्च 2014 में प्रथम वर्ष का अग्रिम ₹ 3.74 करोड़ जिसमें लाइसेंस शुल्क का अग्रिम (₹ 3.21 करोड़), रखरखाव प्रभार (₹ 0.51 करोड़) और जल प्रभार ₹ 0.02 करोड़) शामिल था का भुगतान मार्च 2014 में करने के और मई 2014 में परिसर का कब्जा लेने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया (अक्टूबर 2015) परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ फालतू खर्च हुआ। इस कारण परियोजना के लिये प्राप्त हार्डवेयर एन आई सी परिसर में बेकार पड़े हुए थे और उसके उपयोग करने के अवसर भविष्य में बहुत कम थे। आई टी हार्डवेयर के सीमित जीवन काल को देखते हुये (पांच वर्ष), यहां यह भी अवसर थे कि उपकरण बगैर उपयोग किये अप्रचालित हो जायेंगे।

इसे इंगित करने पर यह बताया गया (अप्रैल 2015) कि परियोजना डी ई आई टी वाई द्वारा समीक्षा की जा रही थी। एन आई सी ने आगे बताया (जूलाई 2015) कि कार्य के स्थान को तैयार करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन बी सी सी)से अनुबंध प्रक्रिया अप्रैल 2015 में प्रारंभ हुई। एन बी सी सी के साथ 20 मई 2015 को एम ओ यू हस्ताक्षरित हुआ था। एन बी सी सी ने डाटा केन्द्र के

⁶ दिनांक 10 जनवरी 2014 के आंवटन पत्र के अनुसार अग्रिम जमा की प्राप्ति के बाद, कब्जा जल्दी से जल्दी दे दिया जाना था किन्तु इसे एल ओ ए (अर्थात् 10 जनवरी 2014) के जारी होने की तारीख से 29वें दिन से ज्यादा देरी नहीं होना थी एल ओ ए के जारी होने की तिथि से भुगतान के 29वें दिन बाद एन आई सी का प्रतिनिधि परिसर लेने नहीं आता तो उस दिन से एन आई सी को परिसर सौंपा हुआ माना जावेगा। इस प्रकरण में 29 मार्च 2014 को अन्तिम भुगतान जमा हो गया था इसलिये कब्जा सौंपने की तिथि जमा के भुगतान कि तिथि से 29वें दिन उदाहरण्थर्थ 27 अप्रैल 2014 ली जा रही है।

लिये एक परियोजना कनसलटेन्ट अनुरोध सृजन और निष्पादन एजेंसी के चयन प्रस्ताव के लिये अनुबंधित किया और जैसे ही एजेंसी का चयन होता निर्माण का कार्य आंठवी मंजिल पर प्रारंभ होना था। कार्य पूर्ण होने पर हार्डवेयर 3री मंजिल से 8वीं मंजिल पर स्थान्तरित होना था।

तथ्य यह था कि डी एम आर सी से किराये पर ली गई परिसर का उपयोग एन आई सी करने की स्थिति में नहीं था एवं इसके निकट भविष्य में उपयोग होने के अवसर भी कम थे जैसा कि एन आई सी का जवाब बता रहा था। इस प्रकार एन आई सी की ओर से निक्रियता के कारण न केवल ₹ 3.74 करोड़ का किराया व रखरखाव पर फालतू व्यय हुआ बल्कि हार्डवेयर व साफ्टवेयर जो कि अनुपयोगी रहे की प्राप्ति पर किया गया खर्च ₹ 35.20 करोड़ व्यर्थ रहा।

(ग) एन आई सी ई-कोर्ट परियोजना के अधीन वेंडर कार्य निष्पादित करने की विफलता से ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त नहीं कर सका।

ई-कोर्ट परियोजना एन आई सी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सौंपी गई थी (सितम्बर 2010)। एन आई सी ने ई-कोर्ट परियोजना के अधीन वेंडर के इमपेनलमेंट के द्वारा आपूर्ति, परीक्षण व कम्प्यूटर हार्डवेयर का अनुरक्षण हेतु खुली निविदा दी थी (मई 2011)। नवम्बर 2011, में मैसर्स एच सी एल इन्फोसिस्टम लिमिटेड को हार्डवेयर तथा एल ए एन मदों की अधिप्राप्ति के लिये इमपैनल में डाला गया था जोकि 24 माह की अवधि के लिये 14 नवम्बर 2011 से 13 नवम्बर 2013 तक जिलों व अधीनस्थ कोर्ट में ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन के लिये था, इसमें एक वर्ष से अधिक विस्तार का प्रावधान था। इमपैनलमेंट की वैधता सितम्बर 2014 तक बढ़ा दी गई थी।

डॉलर भिन्नता के कारण कीमत में संशोधन के लिये निविदा दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, निविदा के खंड 19.14.1 व 19.14.2 में अनुबद्ध था कि यदि पूर्तिकार क्रय आदेश स्वीकार करने में विफल रहा तो इमपैनलमेंट के विरुद्ध प्राप्त बोली सुरक्षा व बैंक गारंटी जब्त कर दी जाएगी तथा इमपैनलमेंट रद्द कर दिया जायेगा। वेंडर द्वारा प्रस्तुत ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी 23 अगस्त 2014 तक वैध थी, जिसे पुनः नवीनीकरण नहीं किया गया था।

एन आई सी ने ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विविध स्थलों के लिये मैसर्स एच सी एल इन्फोसिस्टम लिमिटेड को 586 क्रय आदेश नवम्बर 2011 से फरवरी 2014 को दिये थे। यह देखा गया था कि वेंडर ने अगस्त 2013 से क्रय आदेश का क्रियान्वयन करना बंद कर दिया था तथा ₹0 के विरुद्ध डॉलर का के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों में और संशोधन करने का अनुरोध किया था (दिसम्बर 2013)। मामला प्रवर्तक मंत्रालय अर्थात् विधि व न्याय मंत्रालय (वि व न्या मं) को भेजा गया था (अप्रैल 2014) वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके इसने एन आई सी से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा था (07 जुलाई 2014) ताकि निक्सी एमपैनल वेंडर स्वीकार करके जितना शीघ्र सम्भव हो, मदों की वैकल्पिक अधिप्राप्ति शीघ्र की जा सके तथा उनको बताई गई संविदा के अनुसार वर्तमान वेंडर के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी की जा सके। इस बीच, वेंडर ने बताया (जून 2014) कि फर्म कीमत संशोधन के बिना ₹ 9.45 करोड़ के 100 क्रय आदेशों के आदेश निष्पादित नहीं कर सकी। मई 2015 तक 100 क्रय आदेशों से सम्बन्धित कार्य निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि प्रवृत्तक मंत्रालय की सलाह के अनुसार वेंडर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये पर्याप्त समय नहीं था, एन आई सी सम्बन्ध प्रयोक्ता ग्रुप अर्थात् निविदा प्रक्रिया खंड व वित्तीय विंग में समन्वय की कमी के कारण बैंक गारंटी जब्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, वेंडर को ब्लैक लिस्ट करने और न ही वेंडर के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने के लिये कार्रवाई की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, एन आई सी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि महानिदेशक (एन आई सी) के निर्देशन व अनुमोदन मांगने के लिये प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है तथा तदनुसार, एन आई सी द्वारा कार्रवाई शुरू की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जुलाई 2014 में मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर, वेंडर की बैंक गारंटी जब्त करने तथा एन आई सी एस आई एमपेनल्ड वेंडर अथवा अन्य वेंडर द्वारा गैर निष्पादित परियोजनाओं की क्रय मदों के लिये शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये थी।

(घ) इन्टरनेट बैंडविथ को किराये पर लेने के लिए नई निविदा की जगह पुरानी निविदा को बढ़ाने के कारण ₹ 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) 06 नवम्बर 2008 ने स्पष्ट निर्देश दिये थे जिसमें अपेक्षित था कि निविदा को प्रारम्भिक वैधता के भीतर समयबद्ध तरीके से वैधता बढ़ाये बगैर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये। वैधता की अवधि की बढ़ात्तरी दुर्लभ व आसाधारण प्रकरणों के मामलों में अपेक्षित थी ऐसे प्रकरणों में जहां वैधता की अवधि बढ़ानी थी, उक्त वैधता की अवधि को बढ़ाने व सही ठहराने के लिये मान्य वैध समय व तर्कसंगत आधार को अनिवार्य रूप से अभिलेखों में लाना चाहिये था।

एन आई सी ने 2008 से 2014 की अवधि के दौरान एन आई सी एन ई टी को इन्टरनेट बैंडविथ देने के लिये तीन निविदाओं को अंतिम रूप दिया। निविदाओं की वैधता दो वर्ष थी और इसे आपस में सहमत नियम व शर्तों के आधार पर एक साल के लिये और बढ़ाया जा सकता था। निविदा को प्रसंस्करण और अन्तिम रूप देने के बाद दरों व इमपेनल्ड (सूचीबद्ध) एवं विस्तार के विवरण को नीचे दिया जा रहा है:

फर्म का नाम	निविदा का दिनांक	सूचीबद्ध होने की अवधि	इन्टरनेट बैंडविथ के लिये निविदा में सहमत दरें प्रति एम बी पी एस ₹ में	वास्तविक भुगतान की दर		टिप्पणी
				अवधि	इन्टरनेट बैंडविथ के लिये दर प्रति एम बी पी एस ₹ में	
टी टी एस एल	16.12.2008	27.01.2009 से 26.01.2011	2988	27.01.2009 से 19.05.2010	2988	
				20.05.2010 से 26.01.2011	2208	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	27.01.2011 से 09.05.2011		27.01.2011 से 09.05.2011	2208	प्रस्तावित दरें ₹ 1200 प्रति एम बी पी एस (अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों के अनुसार)

2015 की प्रतिवेदन संख्या 55

रिलाइन्स	16.12. 2008	06.02.2009 से 05.02.2011	2988	06.02.2009 से 19.05.2010	2988	
				20.05.2010 से 05.02.2011	2208	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	06.02.2011 से 09.05.2011		06.02.2011 से 09.05.2011	2208	प्रस्तावित दरें ₹ 1200 प्रति एम बी पी एस (अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों के अनुसार)
ठी ठी एस एल	बढ़ी हुई	10.05.2011 से 08.06.2011	1480	10.05.2011 से 08.06.2011	1480 (अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों के अनुसार)	
रिलाइन्स और एयरटेल	अप्रैल 2011	09.06.2011 से 08.06.2013	1200 (45.66 प्रतिशत पिछले दरों जैसे 2208 की तुलना में कमी)	09.06.2011 से 30.06.2012	1200	
				01.07.2012 से 08.06.2013	1020	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	09.06.2013 से 08.06. 2014	1020	01.07.2012 से 08.06.2013	1020	प्रस्तावित दरें ₹ 554 प्रति एम बी पी एस (पुरानी दरों जैसे 1020 पर 45.66 प्रतिशत में कमी) ⁷
रिलाइन्स	फरवरी 2014	09.06.2014 के बाद	275			

लेखापरीक्षा जांच में निम्न पाया गया:

- एन आई सी ने नई निविदा के लिये जाने की जगह उपलब्ध निविदा की वैधता अवधि के समय को फिर से बढ़ा कर सी वी सी के निर्देशों का उल्लंघन किया।
- वर्ष 2008, 2011 व 2014 के लिये तीन निविदाओं के अनुसार इन्टरनेट बैडविथ के संबंध में दरें 2009 से 2014 के दौरान न्यूनतम 35 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रति एम बी पी एस पिछले वर्ष की तुलना में घटी थी।
- जैसाकि उपर्युक्त टेबल में दिखायेनुसार इन्टरनेट बैडविथ के समान यूनिट के लिये कीमत घटते क्रम में थी, एन आई सी ने घटती कीमत का फायदा नहीं लिया और नई निविदा के लिये जाने की अपेक्षा उपलब्ध सूचीबद्धता की अवधि को बढ़ाया। एन आई सी वर्तमान सुचीबद्धों को विस्तार देने की जगह पर यदि उपर बताये प्रस्तावित दरों के अनुसार समय पर नयी निविदा जारी करता तो वह सेवा कर सहित ₹ 15.00 करोड़ बचा सकता था जिसका विस्तृत अनुलग्नक-X में है।

लेखापरीक्षा के कहने पर, एन आई सी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) की सम्बन्धित निविदा समझौता की सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध को विस्तार प्रदान किया गया था।

⁷ पुरानी दर ₹ 2208 की तुलना में अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों में 45.66 प्रतिशत की कमी थी। उसी आधार पर वढ़ी अवधि 09 जून 2013 से 08 जून 2014 के लिए प्रस्तावित दर ₹ 554 जैसे पुरानी दर ₹ 1020 में से 45.66 प्रतिशत की कमी करके लिया गया है।

मैंनेजमेंट का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन आई सी ने बताये गये मामलों में सी वी सी के निदेशों का उल्लंघन किया था। जहां वैधता की अवधि को बढ़ाये जाने की मांग दुलर्भ और असाधारण मामलों में होनी थी। जैसा बताया गया था कि वैधता की अवधि बढ़ाने को सही ठहराने के लिए इसे मान्य वैध समय व तर्कसंगत आधार को अनिवार्य रूप से अभिलेखों में लाना चाहिये था। इस प्रकार एन आई सी समय पर निविदा जारी न करने से घटती दरों का लाभ लेने में विफल रहा। परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय रूप ₹ 15.00 करोड़ के साथ—साथ सी वी सी ने निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ था।

(ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) की दरों पर विचार न करने के कारण एस एम एस सेवाओं पर ₹ 3.62 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

एन आई सी ने (सितम्बर 2009) मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (टी टी एस एल) को शार्ट मेसेज सेवा (एस एम एस)—गेटवे सेवा को एक वर्ष के लिये सूचीबद्ध किया जो कि आगे एक वर्ष के लिये ओर बढ़ सकने योग्य थी (एन आई सी के विकल्प व विक्रेता के साथ आपसी अनुबंध पर) एस एम एस सेवा की सूचीबद्ध सहमत दरें निम्न थीं:

क्रम संख्या	एस एम एस की संख्या	प्रति एस एम एस दर पैसों में
1	10000 (0.01 मिलियन तक)	10
2	10001 से 50000 (0.01 से अधिक 0.05 मिलियन तक)	9
3	50001 से 100000 (0.05 से अधिक 0.1 मिलियन तक)	8
4	100000 से अधिक (0.1 मिलियन से अधिक)	7.5

सूचीबद्धता आगे फिर एक वर्ष सितम्बर 2011⁸ तक की अवधि के लिये बढ़ा (मार्च 2011) दी थी। एन आई सी ने एस एम एस के उपयोग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुये टी टी एस एल के साथ समझौते पर गया और नवीनीकरण की अवधि के लिये फर्म ने निम्न दरों पर सहमति दी थी:

क्रम संख्या	एस एम एस की संख्या	प्रति एस एम एस दर पैसों में
1	0.1 करोड़ तक (0.1 मिलियन)	7.0
2	0.1 करोड़ से 1 करोड़ (1.10 मिलियन)	6.5
3	1 करोड़ से 2 करोड़ (10.20 मिलियन)	5.0
4	2 करोड़ से अधिक (> 20 मिलियन)	3.5

नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सूचीबद्धता सितम्बर 2010 से प्रभावी थी एन आई सी ने भा सं नि लि से एस एस की दरों की जानकारी ली। भा सं नि लि ने 2 पैसे प्रति एस एस दो करोड़ से पांच करोड़ तक व एक पैसा प्रति एस एस पांच करोड़ से ज्यादा के लिये पेशकश (जनवरी 2011) की। यद्यपि भा सं नि लि की दरों टी टी एस एल से बहुत कम थी इस पर विचार नहीं दिया गया व टी टी

⁸ एन आई सी द्वारा यह ठेका नयी दरों पर अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 तक के लिये बढ़ा दिया गया था इसे आपसी सहमति से नयी निविदा में एल1 की दरों के शर्त पर मई 2012 से मई 2013 तक फिर से बढ़ा दिया था।

एस एल की सूचीबद्धता यह कहते हुये बढ़ा दी गई थी कि भा सं नि लि वरच्यूल नम्बर⁹ की तकनीकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भा सं नि लि ने पुल मैसेज सेवाओं को प्रदान करने को कभी इनकार नहीं किया। इसके बदले भा सं नि लि ने बताया कि पुश और पुल मैसेज सेवायें क्रमशः प्रदान की जायेगी। पुल मैसेज एक अलग सेवा होगी जिसके लिये अलग से छोटे कोड आवंटित होंगे। एन आई सी द्वारा पेशकश की गई सेवाओं पर प्रभार निर्भर होगा। भा सं नि लि द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व का शेयर एन आई सी आधारित प्रश्नों के उत्तर के आधार पर होगा। फिर भी न तो भा सं नि लि को मैसेंज सेवा संविदा कम दरों पर दी गई न ही भा सं नि लि के साथ पुल मैसेज सेवा की संभावित देरी के लिये कोई पूछताछ हुई।
- यातायात प्रतिवेदन से निर्दिष्ट होता है कि पुश एस एम एस 99 प्रतिशत था जबकि पुल एस एम एस केवल एक प्रतिशत था तथापि, सर्स्टी दर पर भा सं नि लि को पुश संदेश तथा टी टी एस एल अथवा किसी अन्य एजेन्सी को पुल संदेश देने के लिये कोई विकल्प नहीं बताया गया था। एन आई सी ने टी टी एस एल से कोई बातचीत भी नहीं की जिससे कि भा सं नि लि के समानन्तर दर पर एक अलग दर पर पुश संदेश के लिये दी जा सके।
- फरवरी 2011 में भा सं नि लि दरों पर विचार न करने के कारण, एन आई सी ने मार्च 2011 से मई 2013 में टी टी एस एल को उच्चतर दर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़¹⁰ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि अनुलग्नक-XI में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, एन आई सी ने कोई उत्तर नहीं भेजा था, मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

4.1.1.2 सॉफ्टवेयर का विकास व वेबसाइटों का होस्टिंग करना

(क) ई-कार्यालय ऐप्लीकेशन

भारत सरकार ने (दिसम्बर 2009) में एक मिशन मोड परियोजना इलेक्ट्रानिक कार्यालय (ई-कार्यालय) प्रारंभ की जिससे कि पारंपरिक सरकारी कार्यालयों को अधिक प्रभावी व पारदर्शी कार्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जा सके जिससे कि अत्यधिक कागजी कार्य के भार से बचा जा सके। परियोजना स्वतः ही पारदर्शिता के वांछनीय मूल्यों, कार्यक्षमता, जवाबदेही व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। उत्पाद में माडुल्स¹¹ का एक समूह है जिससे कि मिसिलों से संबंधित कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखे एच आर कोर्ट केस, आर टी आई आदि के कार्यों को इलेक्ट्रानिक तरीके से करने में बढ़ावा मिलेगा। जिससे सरकारी कार्यालयों के भीतर व उनके बाहर भी स्वचालित रूप से कार्य किया जायेगा। भारत सरकार ने एन आई सी को

9 एन आई सी पुश व पुल एस एम एस दोनों सेवायें प्रदान कर रहा है तथा पुल एस एस के भाग के रूप में वरच्यूल नम्बर अत्यावश्यक है क्योंकि एकीकृत मांग के साथ उसकी आवश्यकता है।

10 अगस्त 2013 में मैसर्स वेल्टी ईडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 मई 2012 से 31 मई 2013 लिये अंतिम रूप दी गई नई निविदा प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया गया था।

11 मिसिल प्रबन्धन प्रणाली (ई-मिसिल), ज्ञान प्रबन्धन प्रणाली (के एस एस), छुट्टी प्रबन्धन प्रणाली (ई-छुट्टी), कार्मिक सूचना प्रणाली (पी आई एस), टूर प्रबन्धन प्रणाली, सहयोग व संदेश सेवायें।

इस परियोजना को भारत के समस्त केन्द्रीय व राज्य सरकारों के कार्यालयों में लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

ई-कार्यालय परियोजना के छह एप्लीकेशन माडुल्स की जांच परिक्षण के दौरान कई कमियों को पाया गया। कुछ महत्वपूर्ण कमियों का विवरण नीचे उल्लेखित किया जा रहा है:

- छुटटी प्रबंधन प्रणाली (एल एम एस) माडुल्स—

छुटटी प्रबंधन प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी के खाते में कोई छुटटी शेष नहीं है तो व असाधारण अवकाश (ई एक्स ओ एल) छुटटी हेतु आवेदन दे सके।

- व्यक्तिगत सूचना प्रणाली

i) अर्द्धवेतन छुटटी (एच पी एल) को तभी अद्यतन किया जा रहा था जबकि कोई कर्मचारी अर्द्धवेतन छुटटी के लिए आवेदन करना था। अर्द्धवेतन छुटटी को कर्मचारी के खाते में स्वचालित रूप से जब भी वह देय होती थी नहीं जोड़ा जा रहा था।

ii) साप्टवेयर स्वचालित रूप से 01 जनवरी व जुलाई को अर्द्धवार्षिक देय अर्जित अवकाशों को जोड़ नहीं रहा था। जब भी कोई कर्मचारी अवकाश पर जाना था तब 01 जनवरी व जुलाई को उसके जमा देय अवकाश को अद्यतन करे बिना अवकाश अवधि में घटाया जा रहा था।

iii) सेवा पुस्तिका के भाग-IIIअ में एल टी सी का लाभ उठाने वाले कालम में एल टी सी हेतु ली गई छुटियों एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण का कोई विवरण नहीं था।

iv) कर्मचारियों द्वारा सेवा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों के पुष्टिकरण के वार्षिक सत्यापन हेतु किये गये हस्ताक्षर डिजीटली संभव नहीं थे क्योंकि उन्हे डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। यहाँ तक कि सेवा पुस्तिका का प्रिंट आउट लेना भी संभव नहीं था जिससे कि मैनुअल हस्ताक्षर लिये जा सकें।

v) अर्हक सेवा माडुल्स—विदेश सेवा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ड्रापडाउन आईकन में कर्मचारियों की पोर्टफोलियो के लिये संगठन/स्टेशन का नाम का काई स्थान नहीं था। जबकि ड्रापडाउन में केवल देशों के नाम दर्शाये जा रहे थे। इसके आगे विदेशी नियोक्ता से छुटटी सेवा व पेंशन योगदान एल एस पी सी की देय राशि को दिखाने के लिये कोई फील्ड नहीं थी।

- यात्रा प्रबंध प्रणाली

i) यात्राओं के संबंध में यात्रा परिवर्तन अवधि हेतु कोई फील्ड नहीं था।

ii) ई-यात्रा व अवकाश प्रबंध प्रणाली के मध्य कोई भी समन्वय नहीं था जिससे कि यदि कोई कर्मचारी यात्रा पर छुटटी हेतु आवेदन देता है तो उसे स्वचालित रूप से छुटियों के अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा सके।

iii) जब कोई कर्मचारी यात्रा पर जाता है तो उस कर्मचारी के कार्य को दूसरे कर्मचारियों के कार्य से जोड़ने हेतु नियत्रण अधिकारी के पास कोई प्रावधान नहीं था।

- मिसिल प्रबंधन प्रणाली

i) ई-फाईल – यदि कोई कर्मचारी ई-फाईल में कोई टिप्पणी लिखता है तो इसके लिए कुछ संदर्भों की आवश्यकता होती है जो कि अधिकतर ज्ञान माडूल्स प्रणाली (के एम एम) में होते हैं। परन्तु ई-फाईलों में के एम एस माडूल्य के संपर्क हेतु कोई भी लिंक नहीं था।

ii) ई-फाईल-इनबाक्स:- लम्बित फाईलों में किसी विषय को चिन्हित करने की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिससे कि महत्वपूर्ण और तत्कालीन फाईलों के निपटान को श्रेणीबद्ध किया जा सके।

iii) ई-फाईलों में शब्दों में होने वाली गलतियों को सुधारने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

- अन्य कमियां

मोटर कार, कम्प्यूटर, एच बी ए, यात्रा, एल टी सी आदि को अग्रिम राशि के आवेदन व स्वीकृति हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

ऐसा बताये जाने पर (मार्च 2015) में एन आई सी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई कमियों को भविष्य में खुलने वाले ई-कार्यालयों में सम्मिलित करते हुये दूर की जायेगी।

(ख) कृषि बाजार सूचना तंत्र (एगमार्कनेट)

एगमार्कनेट परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना तंत्र स्थापित करना है जिससे कि बाजार संबंधी सूचनाएं व ऑकड़ों को तीव्रता से इकठा किया जा सके व इसके उपरांत इसका प्रयोग ठीक समय पर एक प्रभावी तरीके से किसानों व अन्य लोगों द्वारा किया जा सके। इस परियोजना का प्रयोजन किसानों द्वारा अच्छी कीमतों की उगाही व बाजार तक उनकी पहुँच से संबंधित सूचना को इकठा करने व उसका प्रसार करने का भी था। 11वें योजना के अंत तक एगमार्कनेट ने पूरे देश में 7190 बाजारों में से 3241 बाजारों को आच्छांदित किया। इन सभी 3241 बाजारों में सभी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं समवर्गी बाह्य उपकरणों को आनलाईन ऑकड़े भरने हेतु स्थापित किया गया।

लेखापरीक्षा की नमूना जॉच के दोरान योजना में कमियों पाई गई जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है:

- 3241 बाजारों में से 1009 बाजारों ने स्थापना के बाद से कोई रिपोर्ट नहीं दी।
- वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचना जैसे के प्रत्येक फसल के लिए सरकार का समर्थन मूल्य नहीं दर्शाया गया।
- वेबसाइट पर सभी फसलों की कीमतों को दर्शाना चाहिए था परन्तु नमूना जॉच में यह पाया गया कि मूल्य पर्चियों पर गन्ने के मूल्य को नहीं दर्शाया गया।

- इस आवेदन में विक्रय ऑकड़ों को भरने हेतु कोई स्थान नहीं था। इसीलिए एक विशेष बाजार में एक विशेष दिन में विक्रय की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए एक विशेष बाजार में एक विशेष दिन में किसी फसल के भण्डार शेष को पहचान पाना कठिन था जिसे भण्डार में रखा जा सके या किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं जैसे वर्षा, बर्फबारी, धूंध, कोहरा आदि के समय बचाव के लिये सुरक्षित रूप से भण्डार में रखा जाये।

एन आई सी/मंत्रालय द्वारा इस कथन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल

भारत का राष्ट्रीय पोर्टल देश के विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सूचनाओं को एकल खिड़की पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाली विभिन्न सूचनाएँ/सामग्री भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा जिला/राज्य/केन्द्र के स्तर पर किए गए सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह पोर्टल ई-शासन योजना के अन्तर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा डिजाइन और रख-रखाव किया जाता है।

राष्ट्रीय पोर्टल की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण खामियाँ पाई गई हैं:

1. इस साइट पर मुख्यतया विषय, सेवायें, लोक समूह आदि टंगणी (Tabs) है। जब माउस को इन टंगणी प्रत्येक पर क्लिक करने पर उपविषय दिखाई देता है। यदि इन उपविषयों पर क्लिक करें, तो प्रासंगिक पृष्ठ खुल जाता है। जबकि पोपअप मेनू में मात्र दो या तीन राज्यों के नाम प्रत्येक सेवाएँ हेतु, दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कृषि पर क्लिक करें, तो केवल तमिलनाडु तथा राजस्थान का नाम दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार, शिक्षा के संबंध में मात्र तामिलनाडु, नागालैण्ड व सिविकम का नाम दिखाई पड़ता है।
2. कर्नाटक राज्य के संबंध में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:
 - क. 'नगरपालिका प्रशासनिक निदेशालय' का लिंक 'पृष्ठ नहीं मिला' प्रदर्शित करता है।
 - ख. 'उपस्थिति निगरानी प्रणाली' का लिंक खुल नहीं पा रहा था (वेबपृष्ठ उपलब्ध नहीं है)।
 - ग. 'मेरी सरकार' लिंक के तहत 'निजी सचिव/सचिवों आदि के नाम' रिक्त पृष्ठ प्रदर्शित कर रहा है।
 - घ. 'आपातकालीन नम्बर' लिंक के अन्तर्गत 'रक्तदान' का पृष्ठ नहीं खुल रहा था (वेबपृष्ठ उपलब्ध नहीं था)।
3. उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:
 - क. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 अपलोड नहीं किया गया था।
 - ख. उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की 'आनलाइन' सेवायें नहीं पाई गई थी।
 - ग. 'रक्षक दल' के लिए नामांकन फार्म अपलोड नहीं किया गया था।

इस प्रकार यह पोर्टल सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (मार्च 2015) द्वारा प्रत्युत्तर दिया कि राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण तथा उपलब्धता सम्बन्धित स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उत्तर पुष्टि करता है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा आकड़ों व टूटी लिंकों के एकीकरण का कार्य समय—समय पर उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय कर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

(घ) ई-खरीद पोर्टल

व्यय विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक आपूर्ति पोर्टल (सी पी पी पोर्टल) को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) को इस पोर्टल की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य अपने—अपने राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, निदेशालयों, संवैधानिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, उपक्रमों/बोर्डों के बीच में किए जाने वाली खरीद सम्बन्धी जानकारी के लिए एकल बिन्दु पहुंच प्रदान करना था। मिशन मोड परियोजना पोर्टल पर यू आर एल <http://eprocure.gov.in/mmp> से पहुंचा जा सकता है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ यू आर एल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं/ जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:

गृह पृष्ठ	अगली स्क्रीन	टिप्पणी
एम एम पी से सम्बन्धित निर्देश	ई-खरीद के लिए मार्ग दर्शन	पृष्ठ नहीं मिला
नियम एवं प्रक्रिया	आन्ध्रप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	शेष 21 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नियम एवं प्रक्रियों को अपलोड नहीं किया गया था
डाउनलोड करना	नोडल अधिकारी निर्माण प्रपत्र	नहीं मिला
	एम एम पी ई-अधिग्राहित पोर्टल इमेज	नहीं मिला
राज्य ई-निविदा पोर्टल	चार राज्य पोर्टल (आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा गुजरात) कार्य कर रहे हैं।	1. दादरा तथा नगर हवेली-फाईल या यू आर एल नहीं मिला 2. अडंमान-403: निषिद्ध, प्रवेश निषेद्ध 3. शेष 29 राज्य जुड़े हुए नहीं थे
ई-खरीद मानचित्र		1. छ: राज्यों को ग्रे के साथ चिन्हित किया गया है तथा अन्य राज्यों को लाल-ईट से चिन्हित रंगों का संकेत इंगित नहीं किया गया है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वेबपृष्ठ मध्य प्रदेश (http://mpeprocurement.gov.in) एम एम पी में होस्ट किया गया था व बिहार (https://www.eproc.bihar.gov.in) परन्तु राज्य वेबसाइटों से लिंक नहीं थे। (https://www.eproc.bihar.gov.in)

यह इंगित किये जाने पर, केन्द्रीय सूचना केन्द्र ने स्वीकार करते हुए प्रत्युत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई सभी कमियों को अद्यतन कर लिया गया है, जहाँ तक नियमों एवं प्रक्रियों

का प्रश्न है यह सूचित किया गया था कि यह सभी सूचनाएँ/तथ्य राज्यों के विशिष्ट नोडल अधिकारियों को प्रस्तुत करना है और उनको पुनःस्मरण कराया गया था।

(ङ) कृषि विभाग एंव सहयोगी नेटवर्क (डी ए सी एन ई टी)

कृषि विभाग के विजन 2020 प्रलेख ने इस बात की संभावना पर ध्यान दिया गया था कि आई सी टी के उपकरण न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र का नेटवर्किंग प्रदान करेंगे तथा केन्द्र एंव राज्य सरकार के विभाग डेटाबेस का संग्रह होंगे और कृषि आनलाईन की स्थापना करके, विचारों और सूचना के विनिमय द्वारा किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को एकजुट करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, सूचना के अंतस्क्रिय विनिमय के लिए, योजना बनाने के लिए, दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए एंव किसानों की मांग पर सभी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए (कृषि विभाग एंव सहयोगी नेटवर्क) डी ए सी एन सी टी वेबसाईट की रचना की गई।

डी ए सी एन सी टी वेबपेज के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित यूआर एल कार्य नहीं कर रहे थे।

- 'द्वितीय हरित क्रान्ति' क्षेत्र में 'मिसिल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।
- 'जनमत सर्वेक्षण' क्षेत्र कोई भी परिणाम नहीं दर्शा रहा था। इसे 'सबमिट' पर क्लिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा था।
- भाषण → मंत्रियों के भाषण → 'मिसेल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं'
- 42 वी-सैट के उपयोग उपलब्ध नहीं थे। यह 'प्राप्त नहीं' दर्शा रहा था।
- बाजार मूल्य पर क्लिक करने के पश्चात एगमार्कनेट से जुड़ जाता था एंव तिथियां दर्शा रहा था परन्तु तिथियों पर क्लिक करने पर बाजार मूल्य नहीं दर्शा रहा था।
- निरेशालय पोर्टल के अन्तर्गत → कृषि विपणन विभाग → विपणन एंव निरीक्षण निरेशालय के अन्तर्गत 'मिसिल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।
- पादप निगरानी प्रतिवेदन के अन्तर्गत → पादप स्थिति एकीकृत कीट प्रबन्धन व्यवस्था, जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला के अन्तर्गत 'मिसिल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2015)।

(च) भारत सरकार के वेब खोज इंजन में कमियां/त्रुटियां

मौजूदा खोज इंजनों जैसे गूगल, माईक्रोसाफ्ट बिंग इत्यादि ने विश्व व्यापी वेब हेतु खोज तकनीक की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। खोज तकनीकी इसे उपयोग करने वालों को बड़ी मात्रा में संरचित एवं असंरचित आकड़ों की सूचना उद्घृत करने के लिए सरल अंतपृष्ठ देता है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) ने इस को ध्यान में रखते हुए, (अप्रैल 2011) में सरकारी वेबसाईट्स के लिए भारत सरकार वेबखोज

मंच बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य को (अगस्त 2011) में सी—डैक पुणे को ₹ 7.90 करोड़ की लागत पर सौंपा गया। सी—डैक पुणे द्वारा इस कार्य को जुलाई 2013 में पूर्ण किया गया।

भारत सरकार (जी ओ आई) खोज इंजन का निरीक्षण करने पर आडिट ने पाया

- भारतीय भाषाओं में खोज हेतु कोई प्रावधान नहीं था और हिन्दी तथा उर्दू के अतिरिक्त चल कुंजीपटल भी उपलब्ध नहीं था।
- सामग्री प्रबन्धन हेतु, रेंगने वाले सूची व पहलू शुद्ध, प्रासंगिक एंव उचित नहीं थे जैसा कि नीचे विमर्श किया गया
- एमपी¹²—निजामाबाद के लिये खोजा गया—संसद सदस्यों की वेबसाईट सी—डैक के प्रस्तावानुसार नहीं दर्शाई गई थी। अपितु संसद सदस्य का नाम भी नहीं दर्शाया गया था।
- महाराष्ट्र के लिए खोजा गया—इस पर वेब आधारित राज्यों के पते प्राप्त हो रहे थे परन्तु जनसंख्या क्षेत्रफल, राजधानी एंव आधिकारिक भाषा के विवरण नहीं प्रस्तुत कर रही थी।
- ‘नवोदय विद्यालय’ हेतु खोजा गया — अप्रासंगिक परिणाम मिल रहे थे।
- ‘भारत में सेवाकर की दर क्या है’— सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वेबसाईट ने सिर्फ सम्बद्ध पीडीएफ फाईलें एंव वेबसाईट एकीकृत संसाधन निधारिक (यू आर एल) पते ही दर्शाए।
- (जनवरी—2015 में) ‘भारत के प्रधानमंत्री’ के नाम की खोज की गई — यह डॉ मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दर्शा रही थी।
- वर्तनी जांच नहीं: i) जब एक प्रश्न जैसे कि ‘आयकर’ गलत टाईप हो गया तो प्रतिक्रियास्वरूप ‘क्या आपका मतलब आयकर है’ नहीं पूछा गया। परिणामस्वरूप अप्रासंगिक आंकड़े दिए गए बनस्पत उसके जो आय कर से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में वास्तव में प्राप्त होता। ii) इसी प्रकार ‘सेवा कर’ के लिए ‘सेवा कर’ टाईप किए जाने पर प्रत्युत्तर में पूछा गया “क्या आपका मतलब सेवाकर से है” परन्तु फलस्वरूप असम्बद्ध आंकड़े ही प्राप्त हुए बनस्पत उसके जो वांछित थे।
- सी—डैक के परियोजना प्रस्ताव में इंट्रानेट खोज प्रदान करना निर्धारित किया गया परन्तु इसे प्रदान नहीं किया गया। समझौते के अनुसार प्रतिक्रिया में लगने वाला समय तीन सैकण्ड था, परन्तु इसकी दर 15 से लेकर 60 सैकण्ड के बीच रही। वेबसाईट पर सवाल की जाने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाला समय एवं परिणामों की संख्या दर्शाने का प्रावधान भी नहीं था।

इन सब पर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने इस पर्यवेक्षकणों को स्वीकार मार्च 2015 में किया एवं संशोधनात्मक कदम उठाए गए।

(छ) मोबाइल फोन के लिए असंगत वेबसाइट

तकनीक के द्रुत विकास के साथ मोबाइल फोन मात्र संचार उपकरण से बहुत सारी जानकारी और सेवाओं का दोहन करने की क्षमता वाला स्मार्ट फोन में विकसित हो गया है। आज एक मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई गई सेवायें, वॉइस कम्प्यूनिकेशन की अपनी मौलिक भूमिका से परे मूल्य वर्धित सेवाओं की श्रृंखला बन गई है।

ऐसा देखा गया कि एन आई सी की वेबसाइटें मोबाइल प्रौद्योगिकी सेलल्यूलर के लिये संगत नहीं हैं।

ऐसा इंगित करने पर यह कहा गया (मई 2015) कि एन आई सी सरकारी वेबसाइटों के लिये सामग्री प्रबंधन ढांचे के विकास की प्रक्रिया में था। यह ढांचा ओपन सोर्स तकनीक में विकसित किया जायेगा और सरकारी संस्थाओं को उनकी वेबसाइटों के माइग्रेशन के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्लेटफार्म पर माइग्रेट हुये वेबसाइट मोबाइल संवादात्मक डिजाइन सुविधा के अनुकूल होंगे।

तथ्य यह है कि एन आई सी वेबसाइटें मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिये संगत नहीं थीं।

(ज) सरकारी वेबसाइटों में न्यूनतम सामग्री को शामिल न किया जाना

एन आई सी ने जनवरी 2009 में 'भारत सरकार की वेबसाइटों के लिये दिशानिर्देश (जी आई जी डब्ल्यू)' बनाया/तैयार किया था जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। दिशानिर्देश के पैरा 4.5.1 के अनुसार भारत सरकार की वेबसाइटों में नीचे दर्शायी गयी नौ न्यूनतम सामग्री होना चाहिए:

- विभाग का नाम (वैकल्पिक रूप से परियोजना का नाम, सेवा आदि जो भी लागू हो)
- राष्ट्रीय प्रतीक/लोगो (जैसा लागू हो)
- विभाग के बारे में (इसकी मुख्य गतिविधियां व कार्य सहित)
- साइट के सभी प्रमुख मॉड्यूल/भागों के लिए लिंक
- विभाग द्वारा प्रदान की गई सभी नागरिक सेवाओं के लिये लिंक
- वेबसाइट के हमसे 'संपर्क करें' पृष्ठ के लिए लिंक
- 'प्रतिक्रिया दें' पृष्ठ के लिए लिंक
- राष्ट्रीय पोर्टल के लिए लिंक
- खोज/साइट का (नक्शा) मानचित्र
- उपयोग की सेवा व शर्तें

इसके अलावा विभाग के पास पुराने दस्तावेजों के संबंध में एक स्पष्ट अभिलेखनीय नीति यह बताने के लिये होनी चाहिए कि दस्तावेज कितने समय तक ऑनलाइन रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इन पुराने दस्तावेजों को नियामक या कानूनी प्रयोजनों के लिये कभी कभार उद्घृत किया जा सकता था।

क. लेखापरीक्षा ने 526 सरकारी वेबसाइटों को सत्यापित किया और पाया कि मात्र 81 वेबसाइटों पर न्यूनतम सामग्री उपलब्ध थी और बाकी 445 वेबसाइटों में एक या एक से अधिक सामग्री नहीं था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुये यह कहा गया (नवंबर 2014) कि 'भारत सरकार के वेबसाइटों के लिये दिशानिर्देश' (जी आई जी डब्ल्यू) का पालन करने के लिये कदम उठाये गये लेकिन उपयोग कर्ता विभागों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। सभी उपयोगकर्ता विभागों को जी आई जी डब्ल्यू के दिशानिर्देशों के पालन हेतु पुनः निर्दिष्ट किया जायेगा।

ख. एन आई सी की वेबसाइटों में यह देखा गया कि ज्यादातार वेबसाइटों के पास वर्षों से अभिलेखीय नीति नहीं थी वेबसाइटों में अभिलेखीय नीति का अनुपालन नहीं करने के कारण सर्वरों में जगह भरी रही जिसके कारण स्टोरेज सर्वरों की जबरदस्ती और अनावश्यक खरीद करनी पड़ी।

इंगित किए जाने पर यह जवाब दिया गया (मार्च 2015) कि ये नीतियां बैंक एंड नीतियां हैं और उनके अस्तित्व/कार्यान्वयन को संबंधित मंत्रालय/विभागों में जांच करने की आवश्यकता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन आई सी वेबसाइट को एन आई सी डाटा सेन्टर में होस्ट करने से पहले इन नीतियों को कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करना चाहिये था।

(प) सुरक्षा लेखापरीक्षा के बिना ही वेबसाइट्स की होस्टिंग

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिये एन आई सी के दिशा निर्देशों के अनुसार वेबसाइट प्रबंधन टीमों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी वेबसाइटों का आयोजन के पहले व प्रमुख संशोधन के बाद सुरक्षा ऑडिट अधिकृत पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, एन आई सी, एन आई सी एन इ टी के पास कुल 7743 वेबसाइटें हैं उनमें से केवल 4585 वेबसाइटों का ऑडिट हुआ है, 1929 वेबसाइट का आडिट प्रक्रिया के तहत हैं और 1229 वेबसाइटों का ऑडिट नहीं हुआ है। उपरोक्त से यह भी देखा गया है कि 3158 वेबसाइटों का आयोजन बिना ऑडिट पूर्ण किये ही कर दिया गया है।

इस प्रकार सुरक्षा ऑडिट के अभाव में, एन आई सी ने 3158 वेबसाइटों की सुरक्षा से समझौता किया है। और साइबर हमले की संभावना के लिए उन्हें खुला छोड़ दिया है।

प्रबंधन ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि जरूरत की वजह से सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर वेबसाइटों का उद्धाटन/लांच किया गया था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के पाया कि एन आई सी के योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन, विभिन्न परियोजनाओं के वेब एप्लीकेशन व डिजाईन और वेबसाइट के विकास के कामकाज में कमियां पाई गई थीं।

एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन होने के नाते एन आई सी को सरकार में आई सी टी समाधान के उचित प्रमोशन और कार्यान्वयन हेतु एक उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए जो कि योजना व परियोजनाओं को उचित समय पर पूर्ण करे, निविदा प्रक्रिया में मितव्यता, सॉफ्टवेयर व परियोजना एप्लीकेशन पर दक्षता से काम करे एवं वेब साईट के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करें।

4.2 सी—डैक द्वारा पुणे में भवन निर्माण तथा जसोला, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण को प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब

सी—डैक पुणे हेतु भवन के पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रस्तावित भवन की लागत में ₹ 66.39 करोड़ की वृद्धि के अतिरिक्त ₹ 47.62 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुई। सी—डैक दिल्ली ने भी जसोला, नई दिल्ली में एक भूखण्ड अधिग्रहित किया और सितम्बर 2001 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान कर भौतिक कब्जा लिया। सी—डैक को अभी भी कार्य शुरू करना है (मार्च 2015) और समय समय पर विस्तार प्राप्त करने के लिए डी डी ए को ₹ 6.08 करोड़ के रचना शुल्क तथा दण्ड का भुगतान किया।

प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी—डैक) (पूर्व में भारत का इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति के रूप में मार्च 1988 में स्थापित किया गया था। समिति मूलतः एक अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) संस्था के रूप में स्थापित की गई थी जो कि प्रगत सूचना प्रौद्यौगिकी (आई टी) आधारित समाधानों के डिजाइन एवं विकास में शामिल थी। पुणे में मुख्यालय के साथ सी—डैक के भारत भर में 11¹³ केन्द्र हैं।

सी—डैक, पुणे:

पुणे स्थित सी—डैक मुख्यालय पुणे के भीतर पाँच विभिन्न स्थानों पर स्थित किराये के परिसरों से कार्य कर रहा था। सी—डैक ने पाषाण पुणे में 1.50 एकड़ भूमि पर स्वयं के लिए भवन निर्माण करने हेतु एक प्रस्ताव डी ई आई टी वाई, संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007)। प्रस्तावित परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्तमान में किराये के पाँच भवनों (74,149 वर्ग फीट) में कार्यरत सी—डैक पुणे के सम्पूर्ण क्रियाकलापों को इसके प्रस्तावित 1.68 लाख वर्ग फुट कार्यात्मक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर किराये¹⁴ पर व्यय की बचत के अलावा अन्य संचालन एवं प्रशासनिक लाभ¹⁵ थे। डी ई आई टी वाई द्वारा परियोजना हेतु ₹ 49.80¹⁶ करोड़ की प्रशासनिक अनुमति दी गयी थी (फरवरी 2008) जिसको की डी ई आई टी वाई तथा सी—डैक के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना था। परियोजना, स्वीकृति की तिथि से, दो वर्ष के भीतर (यानी फरवरी 2010 तक) पूर्ण की जानी निर्धारित थी।

प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु सी—डैक पूणे द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं (जुलाई 2008)। प्रस्तावित भवन में हाई वोल्टेज एसी, अग्नि सुरक्षा एवं लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त सिविल एवं विद्युतीय कार्य होने

¹³ बैगलुरु, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पुणे, सिलचर और त्रिलोकपुरम।

¹⁴ वर्तमान (मार्च 2015) में किराये भार ₹ 4980 लाख प्रति माह है।

¹⁵ राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे सी—डैक आदि के लिए विभिन्न स्थानों से विभिन्न दलों के बीच तकनीकी विचार विमर्श में सहजता, साझा उपकरणों का प्रतिरूपण एवं उनकी प्रयोगशाला जैसे सी—डैक आदि के भवन का अनुपयुक्त विन्यास के लिये अपेक्षित था।

¹⁶ भारत सरकार से अनुदान ₹ 29.88 करोड़ तथा सी—डैक निधियों से आंतरिक संग्रहण ₹ 1992 करोड़।

थे। भवन को नियामक आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, भूकम्प, आकाशीय बिजली तथा पर्यावरण को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना था। ₹ 61.73 करोड़ की बोली राशि के साथ मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एन सी सी एल) एल1 बोलीदाता था। चूँकि सफल बोलीदाता (एल1 बोली) की दर स्वीकृत लागत ₹ 49.80 करोड़ से अधिक थी अतः कार्य का क्षेत्र कम कर दिया गया और समस्त तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की बोलियों का कम किये गये कार्यक्षेत्र के आधार पर पुनः मूल्यांकन किया गया। इसमें ₹ 14.59 करोड़ के आंतरिक कार्य, फाल्स फ्लोरिंग (तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप) व सीवेज उपचार संयत्र, जिनको की अलग से एवं बाद में किया जाना था, शामिल नहीं थे। दो डीजी सेट्स जो कि प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थे, निविदा में समिलित किए गए। मैसर्स एन सी सी एल पुनः ₹ 49.18 करोड़ की बोली राशि के साथ एल1 रहा। हालांकि सी-डैक इस तथ्य से अवगत था कि आंतरिक कार्यों आदि के बगैर प्रस्तावित भवन को उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वह आगे बढ़ा और डी ई आई टी वाई को अनुमोदन हेतु संशोधित अँकलन प्रस्तुत करने के बजाए मैसर्स एन सी सी एल को कार्य आदेश देने हेतु डी ई आई टी वाई का अनुमोदन प्राप्त किया (जनवरी 2009)।

सी-डैक ने इस शर्त के साथ एन सी सी एल को मई 2009 में कार्य आदेश जारी किया कि परियोजना कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 महीने में पूर्ण हो जानी चाहिए। मई 2009 के दौरान कार्य आरम्भ किया गया, लेकिन लागत बाध्यताओं को देखते हुये कार्य क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया गया (अप्रैल 2010)। मैसर्स एन सी सी एल द्वारा, कम किये गये कार्य क्षेत्र के अनुरूप, कार्य पूर्ण किया गया (सितम्बर 2011) और परियोजना पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 47.62 करोड़ थी।

इस बीच सी-डैक पुणे ने मूल योजनानुसार शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु बढ़े परिव्यय एवं अतिरिक्त धनराशि ₹ 16.12 करोड़ की आवश्यकता हेतु एक प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति (एस एफ सी) को डी ई आई टी वाई की अनुमति के लिए भेजा। (फरवरी 2011) डी ई आई टी वाई ने पुनरीक्षित प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा (सितम्बर 2011) क्योंकि माँगी गई अतिरिक्त धनराशि अनुमोदित परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक थी। तदोपरांत सी-डैक ने व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) की अनुमति हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2011)। बदले में, डी ई आई टी वाई ने सी-डैक को प्रस्ताव की किसी तृतीय पक्ष, अधिमानतः सी पी डब्लू डी, एन बी सी सी अथवा अन्य ऐसे सरकारी विभाग, से जाँच पड़ताल व पुनरीक्षित कराने की सलाह दी (फरवरी 2012)। यह प्रस्ताव डी ई आई टी वाई द्वारा सी-डैक को संशोधन हेतु पुनः लौटाया गया (अप्रैल 2012)। सी-डैक ने शेष कार्य हेतु एक संशोधित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत किया (सितम्बर 2012) जिसमें कुल परियोजना लागत ₹ 116.19 करोड़ की हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.39¹⁷ करोड़ (₹ 116.19 करोड़ – ₹ 49.80 करोड़) अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता लागत वृद्धि (₹ 25.19 करोड़), कार्यक्षेत्र में वृद्धि (₹ 11.16 करोड़), अतिरिक्त मदों में कार्यान्वयन लागत (₹ 5.84 करोड़), वैधानिक एवं अन्य मदें जिन पर प्रारंभिक अनुमानों में विचार नहीं किया गया था (₹ 9.61 करोड़) तथा कार्यक्षेत्र से हटाये गये आंतरिक कार्य (₹ 14.59 करोड़) के कारण हुई। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग एवं डी ई आई टी वाई द्वारा निर्धारित पुनरीक्षण के बाद ई एफ सी की बैठक सम्पन्न हुई (अक्टूबर 2013) और प्रशासनिक अनुमति प्राप्त हुई (फरवरी 2014)। डी ई आई टी वाई ने संशोधित प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि उक्त कार्य को दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए (यानी फरवरी 2016 तक)।

¹⁷ केन्द्र सरकार से अनुदान ₹ 39.83 करोड़ (60 प्रतिशत) तथा आंतरिक संग्रहण से सी-डैक निधियाँ ₹ 26.56 करोड़ (40 प्रतिशत)

तदानुसार, शेष कार्य हेतु केन्द्रीय/राज्य पी एस यू से बोलियाँ आमन्त्रित की गई (जुलाई 2014) और सी—डैक ने एल1 बोलीदाता मेसर्स इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (ई पी आई एल) के साथ ₹ 51.40 करोड़ का एक अनुबन्ध किया (जनवरी 2015)। ई पी आई एल को स्थल 26 फरवरी 2015 को सौंप दिया गया। अनुबन्ध के अनुसार, स्थल को सौंपने की तारीख से 15 महीने के भीतर कार्य पूर्ण होना था यानी मई 2016 तक।

लेखापरीक्षा द्वारा सी—डैक के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) ने निम्न को उदघाटित किया:

- निविदायें आमन्त्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना की लागत स्वीकृत लागत की सीमा के भीतर थी और संशोधित अनुमोदन प्राप्त था, सी—डैक द्वारा परियोजना लागत हेतु यथोचित परिश्रम नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य स्वीकृत परिव्यय के भीतर पूर्ण न हो सका।
- यद्यपि, सी—डैक के पास कोई तकनीकी/अभियांत्रिकी विभाग नहीं है, इसने परियोजना प्राक्कलन तैयार करने के लिए सी पी डब्लू डी या अन्य केन्द्रीय/राज्य पीएसयू या निर्माण गतिविधियों में लगे हुये विभागों से संपर्क करने के बजाए एक निजी सलाहकार (मैसर्स किलोस्कर कंसल्टेंट्स लिमिटेड) पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप, प्राक्कलन सही रूप से तैयार नहीं हुये जिस कारण परियोजना हेतु बोलियाँ स्वीकृत लागत से अधिक थी, जो कि दोषपूर्ण योजना बनाने का परिचायक है। यह ई एफ सी द्वारा संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय देखा गया (अक्टूबर 2013) और कहा गया कि अनुमान गलत थे।
- शेष कार्य की स्वीकृति के लिए डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान योजना आयोग ने पाया (अगस्त 2013) कि प्रारम्भिक लागत प्राक्कलनों को तैयार करते समय यथोचित परिश्रम नहीं किया गया था तथा जब वास्तविक व्यय स्वीकृत लागत के 50 प्रतिशत सीमा से अधिक हो गया तब आर सी ई हेतु व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) से सम्पर्क करने के बजाय सी—डैक ने स्वीकृत बजट का लगभग 95 प्रतिशत व्यय करने के उपरांत आर सी ई हेतु अनुमोदन माँगा। सी—डैक को आर सी ई हेतु 2008 में ही अनुमोदन माँगना चाहिए था।
- सी—डैक पुणे द्वारा केवल ढाँचे के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं शेष कार्य को शुरू करने में पर्याप्त देरी के परिणामस्वरूप परियोजना अपूर्ण रही जिसके कारण लागत वृद्धि (₹ 25.19 करोड़) तथा किराये के परिसरों पर किराये (₹ 36.80¹⁸ करोड़) के रूप में अतिरिक्त भार/व्यय ₹ 61.99 करोड़ (अनुलग्नक XII तथा XIII) के अलावा छ: वर्ष से अधिक के लिए ₹ 47.62 करोड़ की पूँजी अवरुद्ध रही।

यह इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2015) कि:

- सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन के अनुसार कार्य को प्रारम्भ करने की मंशा से कार्य का क्षेत्र कम किया गया था और शुरू में केवल आंतरिक कार्य तथा कुछ अन्य मदें, जैसा डी ई आई टी वाई के अनुमोदन में वर्णित है, कम की गई थीं।

¹⁸ परियोजना का निर्धारित समाप्ति फरवरी 2010 थी। किराये पर परिहार्य व्यय की गणना अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के लिए की गई है जिसमें बढ़ोत्तरी की संभावना है अगर परियोजना के पूर्ण होने में और देरी होती है।

- पाशान भवन के निर्माण का कार्य एन सी सी एल द्वारा सितम्बर 2011 तक जारी रहा जो कि कार्य को 2009 में उल्लिखित दर पर पूर्ण करने के लिए सहमत था तथा नवीन प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को अनुमोदन हेतु फरवरी 2011 में भेजा गया था। हालांकि, प्रशासनिक कारणों तथा ई एफ सी की लंबित मंजूरी के कारण स्वीकृति संसाधित नहीं की गई। प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2014 में प्राप्त हुई थी।
- संशोधित प्राक्कलन के अनुसार, लागत वृद्धि अनेक कारकों से हुई जिसमें संवैधानिक शुल्कों (लेवी), सिविल कार्य के दायरे में परिवर्तन, बैटरियों की क्षमता में वृद्धि, अनुसूची दरों में परिवर्तन के कारण लागत वृद्धि, आदि सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा को मंत्रालय के उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं:

- निविदाओं में आंतरिक कार्यों को छोड़कर भवन के ढाँचे का निर्माण कराने का निर्णय तथा बोलियों को खोलने के बाद परियोजना दायरे को पुनः घटाने का निर्णय उपयुक्त नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण परियोजना लागत खर्च करने के बाद भी भवन उपयोग में नहीं लाया जा सका।
- अनुमानित लागत से अधिक बोलियों के प्राप्त होने को परियोजना की देरी के लिए एक कारण के रूप में नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि योजना आयोग द्वारा देखा गया कि कार्य का दायरा घटाने के बजाय सी-डैक पुणे को 2008 में ही पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन हेतु अनुमति ले लेनी चाहिए थी।
- परियोजना पूर्व अध्ययन सारे मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये भली भाँति नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप प्रारंभिक स्वीकृत लागत एल1 बोलीदाता द्वारा उल्लेखित राशि के सापेक्ष अत्याधिक कम रही। लागत वृद्धि को समय पर संशोधित लागत प्राक्कलन की अनुमति प्राप्त कर बचाया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, डी ई आई टी वाई अंश के सहायता अनुदान ₹ 39.84 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1 करोड़ एवं 2015-16 के दौरान ₹ 1.5 करोड़ के अति अल्प बजट आवंटन को देखते हुये परियोजना मई 2016 तक पूर्ण होती नहीं दिखती। इस बीच सी-डैक, भवन के पूर्ण होने तक तथा सम्पूर्ण गतिविधियों के स्वयं के परिसर में स्थानान्तरित होने तक ₹12.69 करोड़ प्रति वर्ष (आज की दर पर) खर्च करता रहेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पित अन्य लाभ¹⁹ भी सी-डैक द्वारा दोषपूर्ण योजना बनाने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण छ: वर्ष से अधिक विलंबित रहे।

सी-डैक, दिल्ली:

मई 2001 में, सी-डैक दिल्ली को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) द्वारा लीज होल्ड पर जसोला में 3185 वर्ग मीटर का एक प्लाट उसके कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹ 1.52 करोड़ की लागत पर आवंटित किया गया था। भूमि का भौतिक कब्ज़ा सितम्बर 2001 में लिया गया। डी डी ए के आवंटन पत्र की

¹⁹ राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे सी-डैक आदि के लिए विभिन्न स्थानों से विभिन्न दलों के बीच तकनीकी विचार विमर्श में सहजता, साझा उपकरणों का प्रतिरूपण एवं उनकी प्रयोगशाला कीमतें, किराये के भवन का अनुपयुक्त विन्यास।

धारा-xxii के अनुसार सी-डैक को भूमि/भूखण्ड के भौतिक कब्ज़ा लेने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण करना था। लेकिन अभी तक (मार्च 2015), भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2008 में कुल अनुमानित लागत ₹ 17.25 करोड़, जिसमें डी ई आई टी वाई अंशदान ₹ 10.35 करोड़ और सी-डैक का ₹ 6.90 करोड़ था, के साथ प्राप्त कर ली गई थी। इस अनुमानित लागत को डी ई आई टी वाई के अंश ₹ 30.33 करोड़ और सी-डैक के ₹ 20.22 करोड़ के साथ फरवरी 2014 में स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) के अनुमोदन के अनुसार ₹ 50.55 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया।

सी-डैक दिल्ली के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2014) में यह पाया गया कि:

- भूमि के भौतिक कब्जे की तिथि से 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सी-डैक ने भूमि का उपयोग नहीं किया। भले ही सी-डैक ने उक्त कार्य हेतु 23 सितम्बर 2001 को वास्तुविद की छँटनी (शार्ट लिस्टिंग) के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर निर्माण कार्य के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी तथापि कोई भी अग्रेतर प्रगति नहीं पाई गई;
- बजाय भवन निर्माण कार्य शुरू करने के सी-डैक, डी ई ए से समय समय पर उक्त भवन के निर्माण के लिए विस्तार प्राप्त करता रहा। इन विस्तारों को प्राप्त करने के लिए (नवीनतम विस्तार सितम्बर 2016 तक प्राप्त) सी-डैक, डी ई ए को जमीन का किराया, संयोजन शुल्क तथा ब्याज/दण्ड देता आ रहा था। अभी तक, सी-डैक दिल्ली ने ₹ 6.08 करोड़ जमीन किराया, संयोजन शुल्क, ब्याज भूमि की कीमत के अलावा (₹ 1.52 करोड़) का भुगतान किया है;
- क्योंकि सी-डैक दिल्ली, 14 वर्षों से भी अधिक बीत जाने के बाद भी अपने कार्यालय के भवन का निर्माण शुरू करने में नाकाम रहा, इसलिए इकाई अपने संचालन, किराये के परिसर से जारी रखने को विवश थी। जमीन किराया, संयोजन शुल्क आदि भुगतान करने के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर कहा गया है, सी-डैक दिल्ली अप्रैल 2004 से नवम्बर 2014 तक ₹ 4.04 करोड़ किराये पर लिए गए परिसरों के किराए के रूप में भुगतान कर चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सी-डैक दिल्ली ने कहा (मार्च 2015) कि:

- जसोला भवन परियोजना प्रारम्भ में विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी करणों की वजह से अमल में नहीं लाई जा सकी तथा काफी लम्बे समय के लिये ठन्डे बस्ते में पड़ी रही।
- वर्ष 2007 में सी-डैक गवर्निंग काउंसिल ने उक्त भूमि पर सी-डैक के भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत 100 एफ ए आर के सापेक्ष 150 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ ए आर) हेतु भवन की ड्राइंग डी ई ए को मई 2008 में प्रस्तुत की गई। डीडीए द्वारा एफ ए आर शुल्क के मुद्दे के कारण परियोजना प्रगति नहीं कर सकी।

- निर्माण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को जुलाई 2013 में प्रस्तुत किया गया जिसको डी ई आई टी वाई की एसएफसी ने फरवरी 2014 में 60:40 हिस्सेदारी के साथ स्वीकृत किया। परन्तु उनकी माँग के बावजूद, बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिए डी ई आई टी वाई द्वारा आवंटन नहीं किया गया था और इसलिए परियोजना में और देरी हुई।
- लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया परिहार्य व्यय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तव में फलदायी था कि जसोला भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 50 करोड़ से अधिक है।

सी—डैक दिल्ली का उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- सी—डैक का उत्तर स्वयं असामान्य विलम्ब की पुष्टि करता है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि परियोजना लम्बे समय तक ठण्डे बस्ते में पड़ी रही।
- भवन के निर्माण के लिए गवर्निंग काऊंसिल को अपनी स्वीकृति देने में लगभग छ: वर्ष से भी अधिक समय लगा।
- पलोर एरिया आवश्यकता हेतु पहले से उचित योजना नहीं बनाई गई थी जिसके कारण परियोजना प्रगति नहीं कर सकी और बुरी तरह से विलंबित रही जिससे भवन की अनुमानित लागत ₹ 17.25 करोड़ से बढ़कर ₹ 50.55 करोड़ हो गई।
- चूँकि 2015.16 के दौरान डी ई आई टी वाई अंश के ₹ 30.33 करोड़ हेतु विस्तृत अनुदान माँग में राशि ₹ 1.50 करोड़ के अलावा बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी परियोजना के निकट भविष्य में पूर्ण होने पर संदेह है। इस प्रकार तथ्य यह बना रहता है कि 14 वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी इकाई अपने संचालन को किराये के परिसर से जारी रखने को विवश थी।
- प्रबंधन का तर्क कि भूमि पर व्यय की गई राशि, इस तथ्य के साथ फलदायक थी कि भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 50 करोड़ से अधिक है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भूमि का आवंटन एवं अर्जन विशिष्ट उद्देश्य के लिए था न कि मूल्य वर्द्धन के लिए।

इसके अतिरिक्त, आवंटित भूखण्ड (जसोला, नई दिल्ली) पर अर्जन के 14 वर्ष बाद भी तथा इसकी गवर्निंग काऊंसिल द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने के सात वर्ष बाद भी, भवन निर्माण में सी—डैक की निर्णयहीनता के कारण किराया, संयोजन शुल्क, ब्याज के रूप में ₹ 10.12 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.3 सी—डैक प्रबंधन के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण नोएडा से भूखण्ड क्रय करने में ₹ 91.78 लाख का परिहार्य भुगतान

सी—डैक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी भवन का निर्माण करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश (यूपी) से 20,000 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड ₹ 1375 प्रति वर्ग मीटर की दर से लीज़ आधार पर क्रय किया। लीज़ डीड में भुगतान कार्यक्रम के अनुसार, सी—डैक को आवंटन राशि के भुगतान के बाद ब्याज सहित 30 अर्द्ध—वार्षिक किस्तों देनी थी। सी—डैक भुगतान कार्यक्रम से विचलित हो गया और केवल कुछ अवधि के लिए मूल राशि का भुगतान किया तथा इसके उपरांत एक मुश्त राशि का भुगतान किया। नोएडा ने सी—डैक के ब्याज मुक्ति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप सी—डैक को ₹ 477.68 लाख के सापेक्ष ₹ 569.45 लाख का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 91.78 लाख के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त ब्याज ₹ 31.54 लाख की हानि ऐसे अग्रिम भुगतान करने के कारण हुई।

प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी—डैक), नोएडा केन्द्र ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (एन आई ए टी) भवन के निर्माण एवं स्थापना के उद्देश्य से 20,000 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड रियायती दर ₹ 1375 प्रतिवर्ग मीटर से 90 वर्ष की लीज़ पर प्राप्त किया। लीज़ डीड की शर्तों में से एक यह भी था कि निर्माण कब्ज़े की तिथि से छः माह के भीतर शुरू होना चाहिए तथा कब्ज़े की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर पूर्ण होना चाहिए।

लीज़ डीड में निहित भुगतान योजना के अनुसार, आवंटन राशि ₹ 27.50 लाख (कुल भूमि प्रीमियम ₹ 275 लाख का 10 प्रतिशत) के भुगतान के बाद, दिसम्बर 2001 में लीज़ डीड निष्पादित की गई तथा अवशेष प्रीमियम ₹ 247.50 लाख को ₹ 8.25 लाख की 30 अर्द्ध—वार्षिक समान किश्तों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्द्ध—वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चूक राशि (डिफाल्टेड राशि) पर विलम्बित समय के लिए ब्याज आरोपित किया जाना था। इस प्रकार भुगतान के कार्यक्रम का समय पर पालन करने के मामले में, सी—डैक द्वारा अवशेष प्रीमियम तथा ब्याज के रूप में 24 अप्रैल 2001 से 24 अक्टूबर 2015 तक ₹ 477.68 लाख का भुगतान करना था, जैसा अनुलग्नक-XIV में दर्शाया गया है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच ने उदघाटित किया (अगस्त 2014) कि:

- i. लीज़ डीड में उल्लेखित भुगतान योजना के उल्लंघन में सी—डैक ने अप्रैल 2001 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य नोएडा को छः अर्द्ध—वार्षिक किश्तों में केवल मूलधन का भुगतान किया।
- ii. अपर सचिव, एम ओ सी एवं आई टी, डी ई आई टी वाई (पूर्ववर्ती डी आई टी) ने अक्टूबर 2003 में किश्तों पर ब्याज की माफी अथवा माफी की गैर व्यवहार्यता के मामले में नगदी भुगतान के आधार पर अवशेष प्रीमियम के समाधान हेतु नोएडा से सम्पर्क किया परन्तु नोएडा ने प्रतिक्रिया नहीं दी।

- iii. सी—डैक प्रबंधन ने दिसम्बर 2003 में विवेकहीन व एक तरफा निर्णय लिया और 24 अर्द्ध—वार्षिक किश्तों के सापेक्ष ₹ 198 लाख का एक मुश्त भुगतान कर दिया।
- iv. चूँकि भुगतान लीज़ अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गये थे, नोएडा ने ₹ 204.83 लाख की माँग उठाई (जुलाई 2011)। माँगी गई राशि का सी—डैक द्वारा अक्टूबर 2011 में भुगतान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, मई 2014 में, सी—डैक ने ₹ 117.12 लाख का भुगतान अवशेष भुगतान/दण्डात्मक ब्याज के रूप में किया।
- v. इस प्रकार भुगतान कार्यक्रम से विचलन के कारण सी—डैक नोएडा ने पूर्व निर्धारित राशि ₹ 477.68 लाख के स्थान पर ₹ 569.45 लाख का भुगतान किया, जिस कारण ₹ 91.78 लाख का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इस प्रकार सी—डैक नोएडा द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण ₹ 91.78 लाख का परिहार्य व्यय होने के अलावा भारतीय स्टेट बैंक के प्राईम लेण्डिंग रेट के आधार पर ₹ 31.54 लाख ब्याज की हानि हुई जिसका विवरण **अनुलग्नक-XV** में दर्शाया गया है।

प्रकरण मंत्रालय को मार्च 2015 के दौरान में भेजा गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मई 2015) कि:

- i. सी—डैक नोएडा ने शुरू में बिना ब्याज के छ: किश्तों का उनकी नियत तिथियों पर भुगतान किया। वर्ष 2003 के दौरान, सी—डैक ने ब्याज शुल्क बचाने हेतु बची हुई 24 किश्तों का भुगतान एक ही बार में करने का प्रस्ताव दिया।
- ii. अपर सचिव, डी ई आई टी वाई ने प्रकरण को अक्टूबर 2003 के दौरान सी—डैक नोएडा के साथ भी उठाया, जिन्होंने, एकमुश्त भुगतान को स्वीकार करते हुए, इंगित किया कि बकाया मुद्दे, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये जाएंगे।
- iii. इसके उपरान्त, नोएडा प्राधिकरण ने सिवाय जुलाई 2011 में ₹ 204.83 लाख के माँग पत्र को भेजने के अलावा 2003 से 2011 के मध्य किसी भी शेष भुगतान के लिए कभी नहीं कहा।
- iv. सी—डैक अधिकारियों ने यह प्रकरण नोएडा के साथ 26 जुलाई 2011 की निजी बैठक के माध्यम से उठाया तथा अगस्त 2011 एवं सितम्बर 2011 में उनके साथ पत्राचार किया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं रहा। सी—डैक ने पुनः दिसम्बर 2011, अक्टूबर 2013 और नवम्बर 2013 में भी नोएडा प्राधिकरण से सम्पर्क किया लेकिन नोएडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
- v. चूँकि नोएडा प्राधिकरण ने सी—डैक द्वारा बकाया देयों का भुगतान न करने की स्थिति में भूखण्ड रद्द करने की धमकी दी थी अतः 14 अक्टूबर 2011 को आपत्ति के तहत ₹ 2.05 करोड़ का भुगतान समस्या का समाधान करने के लिए किया गया था।

- vi. बाद में, नोएडा प्राधिकरण ने जनवरी 2014 और मई 2014 में शेष भुगतान और ब्याज के लिए क्रमशः ₹ 78.25 लाख और ₹ 38.87 लाख की दो और माँगें भेजी थी।
- vii. समिति के हित में तथा कानूनी जटिलताओं से बचने हेतु, सी-डैक नोएडा ने क्रमशः ₹ 78.25 लाख और ₹ 38.87 लाख का भुगतान भी कर दिया तथा भुगतान भारत सरकार की समिति से अन्य राज्य संगठन को लीज अनुबन्ध धारा के अंतर्गत जारी किया गया था।

प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

1. सी-डैक / डी ई आई टी वाई (पूर्ववर्ती डी आई टी) ने ब्याज माफी एवं एकमुश्त भुगतान स्वीकार करने हेतु प्रकरण को अक्टूबर 2003 में ही उठाया। ब्याज में छूट देने के मामले को नोएडा के साथ उठाने के पहले भी, सी-डैक ने अप्रैल 2001 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य केवल मूल धनराशि का ही भुगतान किया।
2. नोएडा ने ब्याज माफी के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी और अपर सचिव के ब्याज माफी के अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा (नवम्बर 2003) कि मुददे यदि कोई हों, तो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनके बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
3. नेशनल इन्स्टीयूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (एन ई ए टी) के भवन निर्माण एवं स्थापना के प्रयोजन हेतु सी-डैक को लीज पर भूमि देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

इस प्रकार, नोएडा से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बगैर, सी-डैक लीज डीड में निहित मूल भुगतान योजना से विचलित हुआ। इस विचलन ने ब्याज/दण्ड ब्याज को आकर्षित किया तथा परिणामस्वरूप ₹ 91.78 लाख के अधिक एवं परिहार्य भुगतान हुआ जिसको किए गए अग्रिम भुगतान पर प्राप्त होने वाले ब्याज को खोने के अलावा बचाया जा सकता था।²⁰

4.4 सी-डैक पुणे द्वारा रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने में विफलता के कारण ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

यद्यपि, सी-डैक पुणे ने उद्योग निदेशालय, पुणे से 2005 में आई टी ई एस इकाई के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर लिया था, तथापि उन्होंने इसके पुर्नवैधीकरण के लिए 2008 के बाद प्रयास नहीं किया और उपयुक्त रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप पुणे में किराये पर लिए गये भवनों²⁰ के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान विद्युत देयों के रूप में हुआ।

पुणे स्थित मुख्यालय प्रगत संगणक विकास केन्द्र (सी-डैक) के पुणे में, किराए के परिसरों में अपने कार्यालय/इकाईयाँ हैं। वर्ष 2005 में संयुक्त निदेशक उद्योग, पुणे क्षेत्र ने सी-डैक पुणे को “आईटी समाधान प्रदाता/क्रियान्वयनकर्ता” की श्रेणी के अंतर्गत आईटी सक्षम सेवायें (आई टी ई एस) इकाई रूप में पंजीकरण प्रदान किया था।

²⁰ एन एस जी आई टी पार्क/वैस्टइण्ड सेन्टर तथा पुणे विश्वविद्यालय परिसर

महाराष्ट्र की (आई टी/आई टी ई एस) नीति 2009ए के तहत (आई टी/आई टी ई एस) इकाईयों को महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयुक्त के शुल्क दर आदेशों के तहत विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाएगी और ये विद्युत शुल्क के भुगतान से मुक्त होगी।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस ई डी सी एल) के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 01 अक्टूबर 2013 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटी उपभोक्ता (आई टी पार्क) वैध एल ओ आई पंजीकरण प्रपत्र के साथ, आई टी पार्क में स्थित आई टी/आई टी ई एस इकाईयों हेतु व्यक्तिगत कनेक्शनों के लिए एम एस ई डी सी एल को आवेदन करेंगे। यदि एच टी उपभोक्ता (आई टी पार्क) आई टी पार्क में स्थित उपर दर्शाए गए आई टी/आई टी ई एस इकाईयों के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं लेना चाहता तब वह एचटी उपभोक्ता एम एस ई डी सी एल को वितरण फ्रैंचाईजी (डी एफ) हेतु (एम ओ यू के जारिए) आवेदन करेगा। ऐसे प्रकरण में, आपूर्ति डी एफ अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों द्वारा संचालित होगी।

सी—डैक, पुणे में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2014) बताती है कि सी—डैक (लाईसेंस धारक) द्वारा भूस्वामियों (लाईसेंस प्रदाता) के साथ परिसरों को किराए पर लेने हेतु किए गए समस्त लीज और लाईसेंस अनुबन्ध में एक धारा थी कि “लाईसेंस प्रदाता, लाईसेंस धारक एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (एम एस ई डी सी एल) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध होने तक, लाईसेंस धारक, एम एस ई डी सी एल द्वारा लाईसेंस प्रदाता के नाम से संबंधित फ्लोर हेतु सब मीटर के लिए जारी विद्युत बिल के अनुसार, उपयुक्त विद्युत प्रभारों का भुगतान करेगा, और त्रिपक्षीय अनुबन्ध होने के पश्चात बिल लाईसेंस धारक के नाम से प्राप्त होगे और लाईसेंस धारक एम एस ई डी सी एल को विद्युत प्रभारों का भुगतान करेगा। इसने इंगित किया कि सी—डैक स्वयं को मिलने वाली विद्युत रियायत से भलीभौति परिचित था तथा जिसके लिए इसने अन्य पक्षों से नामतः भू स्वामी एवं एम एस ई डी सी एल से स्वयं के नाम पर एक अलग विद्युत कनकेशन हेतु आवेदन करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया था। भूस्वामियों को भी, इस धारा को स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति नहीं थी कि सी—डैक के पास अपना मीटर है तथा अपने नाम से विद्युत बिलों का भुगतान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कोड के प्रावधानों एवं आपूर्ति नियमन 2005 की अन्य शर्तों के अनुसार सी—डैक लाईसेंस प्रदाताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने नाम से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता था।

हालांकि, सी—डैक ने न तो विद्युत कनेक्शन को अपने नाम पाने के लिए कोई प्रयास किया न ही वितरण फ्रैंचाईजी मार्ग हेतु आवेदन किया जिसके लिए वह महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस नीति 2009 के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर रियायती शुल्क दर पाने का हकदार था। इसके अतिरिक्त सी—डैक ने उद्योग निदेशालय द्वारा फरवरी 2005 में जारी आई टी ई एस इकाई पंजीकरण के नवीनकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाए, जो फरवरी 2008 में समाप्त हो गया।

इस कारण सी—डैक पुणे किराये पर लिये गये भवनों के स्वामियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सब मीटरों की रीडिंग के आधार पर ₹ 3.40 से ₹ 7.01 प्रति इकाई की औद्योगिक दरों पर रियायती शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने के बजाय ₹ 7.15 से ₹ 9.83 प्रति इकाई की उच्चतम दरों²¹ से भुगतान करता रहा

²¹ वाणिज्यिक श्रेणी के अधीन शुल्क दर (एन एस सी आई टी पार्क/वेस्टइन्ड सेन्टर) तथा लोक सेवाओं/शिक्षण संस्थाओं पर लागू शुल्क दर (पूणे विश्वविद्यालय)

जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 (सितम्बर 2014 तक) की समयावधि के दौरान ₹ 4.78 करोड़ (अनुलग्नक-XVI एवं XVII) के परिहार्य अतिरिक्त व्यय के अलावा किराये के भवनों नामतः एन एस जी आई टी पार्क/वेस्ट एंड सेंटर एवं पुणे विश्वविद्यालय परिसर पर पुनः आवर्ती प्रभाव हुआ।

यह इंगित किये जाने पर (नवम्बर/दिसम्बर 2014), सी-डैक पुणे/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि:

- i. रियायतों का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ता का प्रासंगिक श्रेणी में व्यक्तिगत कनेक्शन होना चाहिए एवं किराये के भवनों के विद्युत कनेक्शन भवन स्वामियों के नाम पर थे तथा सी-डैक को किसी भी भवन स्वामी ने व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के लिए अनुमति नहीं दी थी तथा रियायती शुल्क दर पाने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध आधार नहीं था। भवन स्वामियों ने परिसरों हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा जैसा ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि पहले ही स्थापित कर दिया था।
- ii. चूँकि भवन स्वामियों ने एम एस ई डी सी एल के साथ कोई फ्रैंचाइजी नहीं ली थी अतः सी-डैक व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं ले सका तथा भवन स्वामियों के द्वारा भुगतान किये गये शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क का लाभ नहीं ले सका। एम एस ई डी सी एल से स्वीकृत दरों पर विद्युत बिल भवन स्वामियों के नाम पर जारी किये जा रहे हैं तथा सी-डैक प्रशुल्कों को एम एस ई डी सी एल द्वारा आरोपित की जा रही समान दरों पर कर रहा था।
- iii. पुनः आगे कहा गया कि पुणे विश्वविद्यालय में किराए पर लिए गये आवास के संबंध में, पूणे विश्वविद्यालय द्वारा लोक सेवा श्रेणी के अंतर्गत रियायती शुल्क दर का लाभ लिया और विद्युत शुल्क के भुगतान की छूट के साथ सी-डैक को पारित किया। इस प्रकरण में यदि सी-डैक ने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए आवेदन किया होता तो भी नाम मात्र एक पैसा प्रति यूनिट की बचत होती।
- iv. प्रकरण को मार्च 2015 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस ई डी सी एल) के पास भेजा गया जिसने सूचित किया कि पार्कों में आई टी/आई टी ई एस प्रयोजन के लिए आपूर्ति हेतु आवेदन करने वाली कम्पनियों को या तो वितरण फैंचाइजी मार्ग से संचालित होना होगा या प्रत्येक आई टी इकाई के लिए सम्बन्धित शुल्क दर श्रेणी के तहत व्यक्तिगत कनेक्शन लेना होगा। एम एस ई डी सी एल ने आगे कहा कि इस प्रकरण में कनेक्शन आई टी पार्क स्वामी के नाम है इसलिए औद्योगिक शुल्क दर सी-डैक पर लागू नहीं होगी, भले ही सी-डैक आई टी पंजीकृत इकाई है।

सी-डैक का उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- i. महाराष्ट्र विद्युत वितरण कोड के प्रावधानों एवं आपूर्ति नियमन 2005 की अन्य शर्तों के अनुसार, सी-डैक लाइसेंस प्रदाताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने नाम विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लेना था तथा इस तरह से उपयुक्त रियायती शुल्क दर प्राप्त कर सकता था। रियायत शुल्क दर प्राप्त करने से हुई बचत ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि पर हुये प्रारंभिक बुनियादी व्यय को दीर्घकाल में पार कर सकती थी।

- ii. यह तर्क कि भवनस्वामियों ने एम एस ई डी सी एल से फ्रैंचाईजी नहीं ली है और इसलिए सी—डैक व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं ले सका, तर्क संगत नहीं है क्योंकि एम एस ई डी सी एल के दिशानिर्देशों के संदर्भ में एचटी उपभोक्ता या तो फ्रैंचाईजी मार्ग के माध्यम से संचालित होने के हकदार थे अथवा प्रत्येक आई टी इकाई के लिए प्रासंगिक शुल्क दर के अंतर्गत व्यक्तिगत कनेक्शन लेना था।
- iii. सी—डैक का तर्क कि 'यदि पुणे विश्वविद्यालय के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन ले लिया गया होता तो भी नाम मात्र एक पैसे की बचत हुई होती' तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि एक पैसे के अंतर की गणना औद्योगिक शुल्क दर में विद्युत शुल्क / 17 प्रतिशत जोड़कर की गई थी। चूंकि महाराष्ट्र सरकार की आई टी एवं आई टी एस नीति के अनुसार आईटी एवं आई टी एस एस इकाईयाँ विद्युत शुल्क भुगतान से मुक्त होने के साथ रियायती औद्योगिक शुल्क दर की पात्र थी, अतः अप्रैल 2010 से सितंबर 2014 के दौरान लोक सेवा श्रेणी एवं औद्योगिक शुल्क दर के मध्य प्रति इकाई वास्तविक अंतर ₹ 1.20 से ₹ 4.97 प्रति इकाई के बीच आया।

इस प्रकार महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस नीति 2009 के अंतर्गत उपलब्ध रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ लेने में सी—डैक प्रबन्धन की विफलता के कारण 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2014 तक) विद्युत प्रभारों पर ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय भविष्य में पुनः आवर्ती प्रभाव के साथ हुआ।

4.5 कार्मिक एवं स्थापना प्रकरणों के नियमन में कमियाँ

सी—डैक पुणे ने अपनी गर्वनिंग काउंसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित स्टाफ रूल के विभिन्न प्रावधानों का न केवल उल्लंघन किया बल्कि जीएफआर तथा एफआर एवं एसआर का भी उल्लंघन किया। यह उसके अपात्र कर्मचारियों को अनियमत रूप से लीज पर आवास की सुविधा, ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान, प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन में आतंरिक संकाय को अनियमित मानदेय का भुगतान, स्टाफ को उपहारों का अनियमित प्रावधान, तकनीकी/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों की भाड़े पर भर्ती में पारदर्शिता का अभाव तथा कानूनी सलाहकार की नियुक्ति पर असामान्य व्यय में फलित हुआ।

सामान्य वित्तीय नियम 209 (6) (iv) (अ) के अनुसार, सभी अनुदानित संस्थायें और संगठन जो कि अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान के रूप में पाते हैं को आमतौर पर अपने कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तें बनानी चाहिए, जो सामान्यतः कुल मिलाकर केन्द्र सरकार में समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, से उच्च नहीं होने चाहिए। असाधारण मामलों में वित मंत्रालय (एम ओ एफ) से परामर्श के साथ छूट प्रदान की जा सकती है।

लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर—दिसम्बर 2014) ने प्रकट किया कि सी—डैक केन्द्र सरकार से पचास प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है और इसके स्वयं के स्टाफ नियम गर्वनिंग काउंसिल से अनुमोदित

हैं, तथापि अनेक कार्मिक एवं स्थापना प्रकरणों के क्षेत्रों में सी—डैक पुणे अपने रवयं के स्टाफ नियमों²² और भारत सरकार (जी ओ आई) के नियमों से विचलित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.29 करोड़ का अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि अनुगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

I. अपात्र कर्मचारियों को लीज पर आवास की सुविधा प्रदान करने के कारण अधिक भुगतान।

वित मंत्रालय, व्यय विभाग ने (मई 2009) मंत्रालय/विभागों को शक्तियों का प्रत्ययोजन किया, जिसके अनुसार वे स्वायत्त संस्थाओं के मुख्य कार्यकारियों के लिए कुछ निश्चित सीमाओं²³ के अधीन आवासीय सुविधा किराए पर लेने के लिए सक्षम थे।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2014/अगस्त 2015) कि सी—डैक पुणे ने वित मंत्रालय की सहमति प्राप्त किए बगैर अपने कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारियों के अलावा, वेतन एवं ग्रेड पे के 40 प्रतिशत पर लीज आवासीय सुविधा (स्वयं—लीज सहित) प्रदान की जो कि पुणे में देय 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता से दुगना था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सी—एम ई टी पुणे, जो कि डी ई आई टी वाई के अधीन एक इकाई है, ने अपने कर्मचारियों, अपने मुख्य कार्यकारियों सहित, को लीज आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की। सी—डैक पुणे के अपात्र कर्मचारियों की जी एफ आर एवं एम ओ एफ के आदेशों के उल्लंघन में लीज आवासीय सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप 2010.15 के दौरान ₹ 6.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। (अनुलग्नक XVIII)

सी—डैक पुणे ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अभी तक अपने विचार/टिप्पणियाँ नहीं प्रस्तुत की।

II. ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान

सी—डैक के स्टाफ नियम (सेवा शर्ते एवं कर्मचारी लाभ) 2006 प्रावधान करते हैं कि इसके कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारियों पर 01 जनवरी 2006 से प्रभावी ग्रेच्युटी योजना के अनुरूप ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। हालांकि, दिसम्बर 2014 के दौरान सी—डैक पुणे इकाई के ग्रेच्यूटी भुगतानों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सी—डैक ने अपने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का भुगतान, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम²⁴ 1972 के प्रावधानों के अनुसार किया जो कि अशासकीय कर्मचारियों पर लागू है। ग्रेच्यूटी का भुगतान सी सी एस (पेंशन) नियम के अधीन अधिकतम देय ग्रेच्यूटी ₹ 10 लाख से अधिक किया गया जो कि स्टाफ नियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। उन कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी का भुगतान किया गया जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और ग्रेच्यूटी हेतु पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के अधीन न्यूनतम अर्हक सेवा पूर्ण नहीं की थी। यह मार्च 2006 एवं जून 2013 के मध्य सेवानिवृत्त हुए/त्यागपत्र दे चुके कर्मचारियों को ₹ 0.40 करोड़ के अधिक भुगतान में फलित हुआ जैसा कि (अनुलग्नक-XIX) में दर्शाया गया है।

22 सी—डैक के स्टाफ नियम— अक्टूबर 2006 समिति के प्रशासन एवं प्रबन्धत हेतु उपनियमों के अधीन संरचित सी—डैक कर्मचारियों के लिए सेवाशर्ते तथा स्टाफ लाभ।

23 गाई श्रेणी शहरों के संदर्भ में, ₹ 8700 ग्रेड पे या उससे अधिक वाले मुख्य कार्यकारियों हेतु मंत्रालय/विभाग ₹ 18400 से लेकर ₹ 32000 प्रतिमाह तक के आवास किराये पर ले सकते हैं, सी—डैक पुणे ने यद्यपि, एमओएफ द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का भी पालन नहीं किया।

24 यह अधिनियम कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बंरदगाहों, दुकानों एवं अन्य स्थापनाओं में लगे हुए कर्मचारियों हेतु ग्रेच्यूटी के भुगतान का प्रावधान करता है।

यह उत्तर दिया गया (दिसम्बर 2014) कि सी—डैक के मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रिक्वोटमेंट रूल्स (एम ओ ए आर आर) के अनुसार सभी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने/सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी देय थी और जिसकी गणना पूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक परिलक्षियों के 15/26 भाग पर की जानी थी तथा संशोधन के उपरांत, ग्रेच्युटी का भुगतान सरकारी कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी योजना के अनुसार किया गया था।

सी—डैक का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सी—डैक के स्टाफ नियमों के अनुरूप नहीं था जोकि 01 जनवरी 2006 से लागू है, तथा साथ ही भारत सरकार के सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के भी अनुरूप नहीं था।

III. आंतरिक संकाय को मानदेय का अनियमित भुगतान।

मौलिक नियमों (एफ आर) के अनुसार, मानदेय को आकस्मिक एवं आंतरायिक प्रकार के विशेष कार्य हेतु सरकारी कर्मचारियों को एक आवर्ती अथवा गैर—आवर्ती भुगतान किये गये पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी, उस किए गए कार्य के लिए, जो आकस्मिक अथवा आतंरायिक है तथा वह या तो इतना श्रमसाक्ष्य है अथवा ऐसी विशेष योग्यता वाला है जो एक विशेष प्रतिफल के औचित्य को सिद्ध करता है, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को अधिकतम मानदेय ₹ 5000/- प्रतिवर्ष प्रदान कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है।

सी—डैक अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से, जिसमें पुणे केन्द्र भी एक है, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। आंतरिक संकाय को मानदेय के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, सी—डैक प्रबन्धन ने आंतरिक संकाय को मानदेय भुगतान नहीं करने का भी निर्णय लिया (अक्टूबर 2013)।

तथापि, नवम्बर 2014 की लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि:

- सी—डैक पुणे ने 2009-10 से 2013-14 (अुनलग्नक XX) के दौरान 62 कर्मचारियों को (आंतरिक संकाय के रूप) ₹ 53.75 लाख का भुगतान से उच्चतम सीमा ₹ 5000 प्रतिवर्ष से अधिक किया।
- वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान ₹ 5000 से अधिक का किसी व्यक्ति को किया गया अधिकतम भुगतान ₹ 3.51 लाख था (श्री आशीष कुवेलकर, आंतरिक संकाय)।
- ₹ 53.75 लाख के कुल अधिक भुगतान किये गये मानदेय में से ₹ 13.50 लाख (25.93 प्रतिशत) मात्र एक कर्मचारी को किया गया था (श्री आशीष कुवेलकर, आंतरिक संकाय)।
- सी—डैक ने 2014-15 के दौरान किए गए मानदेय के भुगतान का विवरण नहीं दिया और इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या अभी मानदेय का अधिकतम सीमा से ज्यादा भुगतान जारी है या नहीं।
- इस प्रकार, मौलिक नियमों के उल्लंघन में, प्रबन्धन बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी करते हुए, शक्तियों के प्रत्यायोजन में प्रावधान के बिना मानदेय का भुगतान करना, ₹ 53-75 लाख के अधिक/अनियमित भुगतान में फलित हुआ।

सी—डैक पुणे ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि मानदेय को वेतन आय में जोड़ते हुए आयकर के प्रयोजन हेतु माना गया था। तथापि, उत्तर निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय के भुगतान पर, शाक्तियों के प्रत्यायोजन के बिना मानदेय के भुगतान तथा प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन में इसके भुगतान पर मौन था।

IV. कर्मचारियों को उपहारों का प्रावधान अनियमित व्यय में फलित हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2013 एवं अप्रैल 2015) कि सी—डैक ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपने कर्मचारियों को उपहार²⁵ प्रदान करने के लिए ₹ 1.08 करोड़ खर्च किये। यह भी देखा गया कि उपहार की खदीद पर व्यय मिशन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कोर अनुदान से किया गया जो कि एफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में था क्योंकि अनुदान से व्यय उसी प्रयोजन हेतु करना था जिस प्रयोजन के लिए यह दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी—डैक के स्टाफ नियमों/भारत सरकार के नियमों तथा विनियमों में सरकारी कर्मचारियों को उपहार देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, सी—डैक द्वारा स्टाफ को दिए गए उपहार जी एफ आर के नियम 215 (1) (iii) के अधीन उल्लिखित सुविधाओं की सूची में नहीं आते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को उपहार पर ₹ 1.08 करोड़ का व्यय करना अनियमित है।

सी—डैक ने उत्तर दिया (जुलाई 2013 एवं अप्रैल 2015) कि व्यय डी ई आई टी वाई द्वारा मिशन परियोजनाओं के अधीन जारी किये गए अनुदानों में से किया गया है एवं वे स्टाफ कल्याण व्यय के रूप में लेखाबद्ध हैं तथा भुगतान महानिदेशक सी—डैक के अनुमोदन के साथ किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सी—डैक अपने कर्मचारियों को प्रदत्त उपहारों हेतु समुचित प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार के व्यय को मिशन परियोजनाओं पर आरोपित करना अनियमित है क्योंकि मिशन परियोजनाओं के लिए आवंटित राशियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना था जिसके लिए वे स्वीकृत/आवंटित थी।

V. तकनीक/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों को किराये पर लेने में पारदर्शिता का अभाव
लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2014) कि सी—डैक पुणे ने मई 2009 से अक्टूबर 2014 के दौरान तकनीकी/परियोजना कार्यों के लिए 48 सलाहकारों किराये पर लेने में ₹ 3.50 करोड़ व्यय किये। इनमें से 18 सलाहकार (व्यय ₹ 1.38 करोड़) विभाग प्रमुख के अनुरोध पर लिए गए और दो सलाहकार (व्यय ₹ 0.08 करोड़) आवश्यकता के अनुसार चिन्हित किये गये थे। चार सलाहकारों (व्यय ₹ 0.42 करोड़) के चयन का तरीका उपलब्ध नहीं था शेष 24 सलाहकार (व्यय ₹ 1.62 करोड़) साक्षात्कार के आधार पर किराये पर लिए गए बताए गए। सी—डैक पुणे ने सलाहकारों को किराये पर लेने के लिए विज्ञापनों के निर्गत होने तथा उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार तकनीकी/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों को किराये पर लेने में कोई पारदर्शिता नहीं थी तथा ₹ 3.50 करोड़ का व्यय किया जो कि भारत सरकार के आदेशों तथा जी एफ आर के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

²⁵ उपहार जैसे कि इलैक्ट्रिक कुकर, डिनर सैट, मिक्सर/ग्राइन्डर, फैशन बैग, कम्बल, सैण्डविच टोस्टर, कटलरी, सूटकेस, वेक्यूम क्लीनर आदि

VI. विधिक सलाहकार की नियुक्ति पर असमान्य व्यय।

सी—डैक पुणे के पास विधिक एवं संविदा प्रमुख की अध्यक्षता में तीन से चार विधिक सलाहकारों द्वारा सहायता प्राप्त एक विधिक शाखा है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 11 विधिक प्रकरण (तीन न्यायालय प्रकरण और आठ कैट प्रकरण) 17 नवम्बर 2014 की तिथि में लम्बित थे। समस्त प्रकरण स्थापना मामलों, जैसे प्रार्थियों द्वारा निलम्बन को चुनौती (तीन समान प्रकरण), प्रार्थियों द्वारा वेतन नियतन को चुनौती (तीन समान प्रकारण) आदि से सम्बन्धित थे तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में काई भी प्रकरण लम्बित नहीं थे।

उपरोक्त को देखते हुये विधिक शुल्क के मद में वृहत् व्यय की कोई संभावना नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि 2013-15 के दौरान (नवम्बर 2014 तक), सी—डैक पुणे ने विधिक परामर्शदाती फर्म मैसर्स पवन दुग्गल एसोसियट्स विभिन्न मामलों/चुनौतियों के विधिक सलाह प्रभार के लिये सी—डैक को (₹ 55.67 लाख), विभिन्न आर टी आई प्रश्नों पर सलाह (₹ 24.42 लाख), विधिक सम्मेलन पर सलाह (₹ 13.58 लाख) और अन्य विविध मुद्राओं (24.08 लाख)²⁶ पर सलाह, प्रदान के लिए विधिक परामर्श प्रभार ₹ 1.18 करोड़ (अनुलग्नक-XXI) का भुगतान किया। यह भी देखा गया कि विधिक परामर्शदाता को ₹ 16666 प्रति घंटा से लेकर ₹ 25000 प्रति घंटा के मध्य फीस का भुगतान बहुत ऊँची दरों पर किया गया था। सी—डैक पुणे ने न तो पुणे में उपलब्ध स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं की सेवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया और न ही विधिक एवं न्याय मंत्रालय (एम ओ एल जे) द्वारा अधिसूचित फीस से पारिश्रमिक सीमित किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सी—डैक ने एम ओ एल जे, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर निजी विधिक सलाहकार की जो कि एम ओ एल जे द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 2002 और जनवरी 2015) के उल्लंघन में था। विधिक सलाहकारों को फीस/पारिश्रमिक का नियमन एम ओ एल जे द्वारा समय—समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाना है जिसका भी सी—डैक द्वारा पालन नहीं किया गया। यह देखा गया कि एम ओ एल जे के निर्देशों (सितम्बर 2011) के अनुसार स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई में भाग लेने के लिए अधिकतम देय फीस ₹ 9000 प्रतिदिन है। जबकि सी—डैक ने विधिक सलाहकारों को फीस का भुगतान ₹ 25000 प्रतिघंटे की दरों तक किया वो भी बिना किसी विशेष आवश्यकता के। सी—डैक ने विधिक सलाहकारों की नियुक्ति के आधार को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त सी—डैक ने विधिक सलाहकारों को मार्च 2013 तक तथा नवम्बर 2014 से आगे के लिए गए भुगतानों का विवरण तथा प्रत्येक प्रकरण में विधिक सलाहकार से सम्पर्क करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।

सी—डैक ने उत्तर दिया कि पेशेवर जैसे चिकित्सक, अधिवक्ता विज्ञापन के माध्यम से चयनित अथवा नियुक्त नहीं किए जाते वरन् उनको उनकी निपुणता/विशेषज्ञता/प्रतिष्ठा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह भी कहा गया कि आरटीआई आवेदनों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अपने विधिक हितों की रक्षा करने के लिए विधिक सलाहकारों से परामर्श आवश्यक समझा गया। आगे भी कहा गया कि निजी

²⁶ सीसीएस (सीसीए) नियमों पर सलाह, अपराधिक विधि अधिनियम में संशोधन आईई कार्यवाहियों में प्रेजेन्टिंग आफिसर्स हेतु टेम्पलेट की ड्राफिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा तथा सूचना हेतु अपनायी गई, तर्कसंगत सुरक्षा प्रथायें तथा प्रक्रियायें, कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम 2013) के बारे में कर्मचारी जागरूकता इत्यादि।

अधिवक्ताओं की नियुक्ति से सम्बन्धित एमओएलजे का परिपत्र सी—डैक पर लागू नहीं था जो कि निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक परिपूर्ण विधिक शाखा होने के बावजूद भी सी—डैक ने जी ओ आई/जी एफ आर के विभिन्न ओदशों के तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत एक विधिक फर्म को नियुक्त करने में व्यय किया। अपनायी गई दरें बहुत अधिक हैं। सी—डैक पुणे में उपलब्ध स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं की सेवाएँ नहीं ली जाती हैं।

इस प्रकार सी—डैक पुणे ने न केवल अपनी गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित स्टाफ नियमों का ही नहीं बल्कि जी एफ आर एवं एफ आर और एस आर का भी उल्लंघन किया। सी—डैक के द्वारा की गई यह चूक अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय में फलित हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.6 किराए की जगहों के लिए आंतरिक साजसज्जा का काम पूरा करने में असामान्य देरी के कारण परिहार्य एवं निष्कल किराया व्यय

ईआरएनईटी इण्डिया ने अगस्त 2010 में मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से जगह किराए पर ली। यद्यपि कार्यादेश जून 2012 में जारी हुआ था, तथापि कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं हो सके। इसके परिणामस्वरूप ई आर एन ई टी किराए की जगह पर कार्य करता रहा और अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2014 के मध्य ₹ 5.52 करोड़ किराए का भुगतान किया। अगस्त 2010 से दिसम्बर 2014 तक कि अवधि के दौरा किराए पर भवन को लेने के लिए किराए पर एक अतिरिक्त परिहार्य व्यय ₹ 7.17 करोड़ भी किया गया।

ऐजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ई आर एन ई टी)²⁷ इण्डिया ने फरवरी 2010 में दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डी एम आर सी) से लगभग 700 वर्ग मीटर स्थान किराये पर लिया जिसके लिए अगस्त 2010 में एक लीज अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। बाद में, अप्रैल 2011 में, ई आर एन ई टी इण्डिया ने अपने सभी कार्यालय और परिचालन गतिविधियों को एक ही छत के नीचे स्थानान्तरित करने के विचार से डी एम आर सी को मौजूदा आवंटित स्थान के बदले में 1858.1 वर्ग मीटर स्थान आवंटित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। अगस्त 2011 में डी एम आर सी आई टी पार्क भवन दिल्ली में 1869.109 वर्ग मीटर सुपर बिल्ड अप एरिया हेतु में पुनरीक्षित लीज अनुबन्ध ई आर एन ई टी और डी एम आर सी के बीच किया गया। संशोधित लीज अनुबन्ध ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

- (i) एक मासिक लाईसेंस शुल्क (किराया) ₹ 675 प्रति वर्गमीटर तथा उस पर लागू सेवा कर एवं अधिभार सहित डी एम आर सी को भुगतान किया जाना था। इसको तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि की समाप्ति के बाद लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत से संशोधित किया जाना था।
- (ii) लाईसेंस की प्रारंभिक अवधि छ: वर्षों के लिए थी और ई आर एन ई टी ने ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा हेतु ₹ 1.51 करोड़ जमा कर दिये।

²⁷ ईआरएनईटी इण्डिया 1998 में डीईओटीवाई के अधीन एक स्वयंशासी संस्था के रूप में स्थापित की गई थी।

- (iii) सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु एक मासिक राशि ₹ 1.81 लाख तथा उस पर लागू सेवा कर और पार्किंग प्रभार का अलग से भुगतान किया जाना था।
- (iv) अनुबन्ध की धारा 11 यह उपबन्धित करती थी कि लाइसेंस धारक समस्त आंतरिक विभाजन योजना हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

ई आर एन ई टी ने किराये के स्थान के आंतरिक साज सज्जा कार्य के लिए निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) की तथा ₹ 1.61 करोड़ का क्रय आदेश जून 2012 में मैसर्स वुडफन इन्टीरीयर्स एंड डैकोरेटर्स को जारी किया। क्रय आदेश में निर्धारित था कि क्रय आदेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर²⁸ समस्त कार्य सब प्रकार से पूर्ण हो जाना चाहिए। विलंब की दशा में ठेकेदार को अपूर्ण कार्यों के संविदा मूल्य के एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से, अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत तक, क्षतिपूर्ति²⁹ करना था।

ई आर एन ई टी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2015) ने उद्घाटित किया कि:

- क. कुल परियोजना लागत ₹ 1.60 करोड़ के विरुद्ध जून 2013 तक ₹ 65.41 लाख के व्यय पर मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था।
- ख. विभाजन कार्य की प्रक्रिया में, डी एम आर सी ने पी वी सी पाईप बिछाने की अनुमति नहीं दी और जी आई पाईप के लिए जोर दिया जो निविदा की मद नहीं थी। इसके कारण जी आई पाईप की दरों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ जिस कारण ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु चार विस्तार बिना एल डी प्रभारों के दिये गये। अक्टूबर 2013 में संविदा निरस्त कर दी गई।
- ग. ई आर एन ई टी कब्जे की तिथि से चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी किराए की जगह के गैर-अधिग्रहण के बावजूद किराया (लाइसेंस फी) देता रहा। अगस्त 2010 से दिसम्बर 2014 तक किराया, अनुरक्षण तथा विद्युत एंव जल प्रभारों के मद में डी एम आर सी को ₹ 7.17 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त ई आर एन ई टी ने अप्रैल 2011 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य वर्तमान जगह का किराया प्रभारों की मद में ₹ 5.52 करोड़ की राशि का भी व्यय किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित (सितम्बर 2015) किए जाने पर, मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि डी एम आर सी, एक सरकारी संगठन, को भुगतान किए गए किराए को सरकारी खजाने की हानि नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा गया कि ठेकेदार को बिना एल डी प्रभार लागू किए अनेक बार विस्तार इसलिए दिए गए क्योंकि ई आर एन ई टी इण्डिया डी एम आर सी के भवन में स्वयं को स्थानान्तरित करने हेतु कार्य पूर्ण कराने के लिए उत्सुक था तथा ठेकेदार की विफलता सुनिश्चित करने के उपरांत संविदा 25 अक्टूबर 2013 को निरस्त कर दी गई। यह भी कहा गया कि ठेकेदार ने सिविल कार्यों के अधीन उल्लेखित मूल्य पर अग्निशमन प्रणालियों हेतु जी आई पाईप की आपूर्ति करने से मना कर दिया क्योंकि जी आई पाईप विद्युत कार्यों में निविदा मद के रूप में सम्मिलित नहीं थे जिसके कारण एक निश्चित अपरिहार्य विलम्ब

²⁸ क्रय आदेश की धारा 21

²⁹ क्रय आदेश की धारा 16

हुआ। यह भी सूचित किया गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान एलडी प्रभारों का दावा किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। डी एम आर सी को किराये का भुगतान एक निष्फल व्यय है क्योंकि किराए पर लेने की तिथि से चार वर्ष बाद भी विभाजन कार्य के अपूर्ण रहने के कारण आवंटित स्थान को ई आर एन ई टी द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त लाईसेंस अनुबंध की धारा 11 के अनुसार ई आर एन ई टी को समस्त आंतरिक विभाजन कार्य शुरू करने से पहले डी एम आर सी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना था। यद्यपि, यह नहीं किया गया जिस कारण डी एम आर सी ने पी वी सी पाईप को बिछाने में आपत्ति की और बदले में जी आई पाईप पर जोर दिया। इससे भी कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब तथा फर्म को जारी कार्यादेश के निरस्त होने में फलित हुआ।

इस प्रकार ई आर एन ई टी के लचर प्रबन्धन/अनिर्णय की स्थिति ₹ 7.17 करोड़ के निष्फल एवं परिहार्य व्यय में फलित हुई। लीज अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने की तिथि से चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी ई आर एन ई टी किराए पर लिए गए स्थान का उपयोग करने में असमर्थ था।

4.7 दण्डात्मक ब्याज का गैर आरोपण

एस टी क्यू सी निदेशालय के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (ई आर टी एल) कोलकाता, इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र (ई टी डी सी) बैगंलोर तथा जयपुर द्वारा सरकारी प्राप्तियों को केन्द्र सरकार के खाते (भारत की समेकित निधि) में विलम्बित प्रेषण हेतु अपने बैंकरों पर ₹ 0.67 करोड़ दण्डात्मक ब्याज का गैर-आरोपण।

इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) भारत सरकार से संबंध एक कार्यालय, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (ई आर टी एल) तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्रों (ई टी डी सी) के एक देशव्यापी तन्त्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में सार्वजनिक और निजी संगठनों के लिए परीक्षण, मापांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणन शामिल है।

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्तियां एवं भुगतान) प्रारम्भिक एवं सामान्य सिद्धांतों का नियम 8 कहता है कि सरकारी राजस्व, प्राप्तियां अथवा देयों के प्राप्त होते ही, प्राप्तकर्ता बैंक शाखा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर बी आई) द्वारा संधारित सरकार के जमाओं में, नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार जो यह निर्दिष्ट करता है कि जब तक अन्यथा न उल्लेखित हो, केन्द्र सरकार के खाते में जमा की गई राशियाँ जिनका नगद व्यवसाय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है या तो आर बी आई अथवा केन्द्रीय खजाने द्वारा धारित की जाएँगी, तुरंत सम्मिलित करेगा।

आर बी आई के जनवरी 2007 के पत्रानुसार, ₹ 1 लाख एवं उससे अधिक के लेनदेन में विलम्ब की अवधि बैंक दर में दो प्रतिशत जोड़कर विलम्बित अवधि के ब्याज को आकर्षित करेगी। इसके अतिरिक्त ₹ 1 लाख से कम के प्रत्येक लेनदेन हेतु पाँच कैलेण्डर दिवसों तक विलम्बित अवधि ब्याज बैंक दर पर होगा।

तथा पाँच कैलेण्डर दिवसों से अधिक के लिए विलम्ब की पूरी अवधि हेतु ब्याज बैंक दर में दो प्रतिशत जोड़कर होगा। बैंक दर आर बी आई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर होगी।

एस टी क्यू सी इकाईयों नामतः ई टी डी सी बैंगलोर, ई टी डी सी जयपुर तथा ई आर टी एल कोलकाता द्वारा सरकारी देयों के प्रेषण हेतु खोले गये चालू खातों³⁰ के जनवरी 2009 से मार्च 2015 तक की अवधि के बैंक विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि आई टी सेवाओं एवं एस टी क्यू सी के मद में प्राप्तियों को एस टी क्यू सी इकाईयाँ अपने शहरों में सम्बन्धित बैंकों में खोले गये अपने चालू खातों में प्रतिदिन प्रेषित कर रही थीं। बैंक को प्रतिदिन के आधार पर प्रेषित की गई राशियाँ बैंक द्वारा तुरंत केन्द्र सरकार के खातों में जमा की जानी चाहिए थी। हालांकि बैंकों ने अधिकतर प्राप्तियों को स्वयं के बैंक खातों में रखते हुए उनको आंशिक रूप से माह में एक या दो बार प्रेषित किया। यह प्राप्तियाँ और भुगतान नियमों की लागू होने वाली धाराओं के उल्लंघन में था तथा इसलिए जनवरी 2009 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 0.67 करोड़ के (अनुलग्नक-XXII) दण्डात्मक ब्याज को आकर्षित किया। जिससे समान राशि से केन्द्र सरकार को राजस्व हानि की हानि हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि ऐसी खामियों को रोकने के लिए कदम उठाए गये हैं। ईआरटीएल कोलकाता इकाई ने उत्तर दिया कि संबन्धित बैंकों से दण्डात्मक ब्याज भारत की समेकित निधि में प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया गया है। इसी प्रकार, ई सी टी डी बैंगलोर तथा जयपुर ने उत्तर दिया कि बैंकरों द्वारा केन्द्र सरकार के खाते में सरकारी प्राप्तियों के विलम्बित प्रेषण हेतु ब्याज का भुगतान करने के लिए क्रमशः प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया बैंगलोर एवं बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर को पत्र भेजे जा चुके हैं।

तथापि, यह तथ्य बना रहता है कि एस टी क्यू सी इकाईयों द्वारा समुचित निगरानी के अभाव में सम्बन्धित बैंकों ने सरकारी धन का विलम्बित प्रेषण किया तथा सरकार को कोई ब्याज का भुगतान किए बिना धन का उपयोग किया। अतः वे सरकार को ₹ 0.67 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

30 जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया गया